कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2022 / 1795

दिनांक :: 16 नवम्बर, 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **30 सितम्बर 2022** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **30 सितम्बर 2022** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: नगर निगम के क्षेत्राधिकार के मास्टर डवपलमेंट प्लान, जोनल डवलपमेंट प्लान, भू–उपयोग परिवर्तन, ले–आउट प्लान अनुमोदन, उपविभाजन एवम् पुनर्गठन, भवन मानचित्र अनुमोदन, नियोजन से संबंधित अन्य कार्य नगर निगम दक्षिण एवम् नगर निगम उत्तर के स्तर से सम्पादित किये जाने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र का मास्टर डवलपमेंट प्लान (2013–2031) को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.02.2021 में अनुमोदन उपरान्त प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 24 के तहत दिनांक 18.02.2021 को अधिसूचित कर लागू किया गया, जिसमें नगर निगम उत्तर एवम् नगर निगम दक्षिण का अधिसूचित क्षेत्र भी सम्मलित है।

जोधपुर नगरीय क्षेत्र 2031 को कुल 18 योजना क्षेत्र व 3 ग्रोथ सेन्टर्स में विभाजित किया जाकर वर्तमान में 10 योजना क्षेत्रों के जोनल डवलपमेंट प्लान अंतिम रूप से अधिसूचित कराये जा चुके है। उक्त 10 योजना क्षेत्रों में नगर निगम दक्षिण एवम् नगर निगम उत्तर के 2 जोनल डवलपमेंट प्लान भी सम्मिलित है। नगर निगम उत्तर व दक्षिण के क्षेत्राधिकार के जोनल डवलपमेंट प्लान का कार्य सम्बधित नगर निगम के तकनीकी/वित्तीय/प्रशासनिक सहयोग से जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत तैयार किया जाकर धारा 24 के तहत दिनांक 28.04.2022 को अधिसूचित कर लागू किया गया।

मास्टर डवलपमेंट प्लान में पूर्व मास्टर प्लान में दर्शित ओ.सी.एफ./पार्क/केचमेंट क्षेत्र आदि में वर्तमान में विद्यमान घनी बसावट आदि के दृष्टिगत 19 स्थानों को विशेष क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किये गये है एवम् भविष्य में उक्त विशेष क्षेत्रों में परीक्षण उपरान्त अनुज्ञेय गतिविधियों का निर्धारण राज्य सरकार स्तर पर किया जाना है। इन विशेष क्षेत्रो का विद्यमान बसावट, सड़कों, गै.मु. आबादी,

अनुमोदित ले–आऊट प्लान/पूर्व प्रतिबद्धताऐं (Earlier commitments), न्यायालय में वाद, डूब क्षैत्र बाबत टिप्पणी तथा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश एवम् मौका स्थिति के दृष्टिगत भू–उपयोग निर्धारण किया जाना हैं। उक्त 19 विशेष क्षेत्रों में से नगर निगम उत्तर के क्षेत्राधिकार में 7 एवम् नगर निगम दक्षिण के क्षेत्राधिकार के 4 विशेष क्षेत्र है। वांछित सूचनाए एवम् सक्षम स्तर पर लिये गए निर्णय/अनुशंषा प्राप्त नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही किया जाना लम्बित है।

नगर निगम क्षेत्र के दो जोन डवलपमेंट प्लान (उत्तर एवम् दक्षिण) अनुमोदित करते समय नगर निगम उत्तर की 4 सडकों एवम् नगर निगम दक्षिण की 7 सडकों के मार्गाधिकार का निर्धारण मास्टर प्लान के बिन्दु संख्या 5.8 में आयुक्त जोविप्रा की अध्यक्षता में गठित समिति के स्तर पर विस्तृत परीक्षण किये जाने के उपरान्त निर्णय लिया जाकर तदानुसार जोनल डवलपमेंट प्लान में वांछित संशोधन हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया, लेकिन अभी तक इस संबंध में सडकों के मार्गाधिकार के निर्धारण के संबंध में वांछित कार्यवाही एवम् सक्षम स्तर पर लिये गए निर्णय/अनुशंषा प्राप्त नही होने के कारण अग्रिम कार्यवाही किया जाना लम्बित है।

नगर निगम के क्षेत्राधिकार के मास्टर डवपलमेंट प्लान, जोनल डवलपमेंट प्लान, भू–उपयोग परिवर्तन, ले–आउट प्लान अनुमोदन, उपविभाजन एवम् पुनर्गठन, भवन मानचित्र अनुमोदन, नियोजन से संबंधित अन्य कार्य नगर निगम दक्षिण एवम् नगर निगम उत्तर के स्तर से किये जाने के संबंध में निर्णयार्थ निम्न तथ्य अवलोकनीय है :–

01. नगर निगम उत्तर एवम् नगर निगम दक्षिण का क्षेत्राधिकार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित है। इस क्षेत्र में नगर निगम के अतिरिक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा भी सम्परिवर्तन, भू–उपयोग परिवर्तन, ले–आउट प्लान अनुमोदन, उपविभाजन एवम् पुनर्गठन, भवन मानचित्र अनुमोदन, नियोजन से संबंधित अन्य कार्य भी सम्पादित किये जा रहे है। प्राधिकरण एवम् नगर निगम का क्षेत्राधिकार अलग–अलग नहीं होने के कारण आवेदकों को आवेदन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं होने के कारण रिकॉर्ड संधारण में कठिनाईयां होती है।

02. स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के परिपत्र दिनांक 27.09.2021 के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69–ए के तहत शहर का चारदिवारी आबादी क्षेत्र, राजस्व रेकर्ड में दर्ज गै.मु. आबादी क्षेत्र, रियासतकालीन समय से राजा महाराजाओं/ठिकानेदारों द्वारा अपने स्वामित्व की गैर कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियां, ग्रामीण क्षेत्र कृषि भूमि रूपान्तरण नियम–1971, 1992, 2007 एवं नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि रूपान्तरण नियम–1981 के तहत जारी सम्परिवर्तन आदेशों से सम्बन्धित भूमि, राजस्व रेकर्ड खातेदारी में अंकित गैर कृषि भूमियां जिन पर निर्माण हो चुका है में सम्बन्धित नगर निगम द्वारा ही पट्टे दिये जाने अपेक्षित है।

03. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 156 के तहत नगर विकास योजना तैयार करना, धारा 159 के तहत नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाए तैयार करना, धारा 160 के तहत योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रकिया, धारा 162 के तहत योजना का पश्चात्‌वर्ती उपातंरण एवम् धारा 163 के तहत योजना के कियान्वन की शक्तियॉ नगर निगम के क्षेत्राधिकार में नगर निगम को निहित है।

04. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका (जोनल डवलपमेंट प्लान) निमय 2021 दिनांक 20.09.2021 को अधिसूचित किये जा चुके है जिसके अनुसार जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुमोदन एवम् मोडिफिकेशन की समस्त शक्तियॉ संबंधित निकाय को प्रदत्त की जा चुकी है।

05. प्राधिकरण, नगर निगम उत्तर एवम् नगर निगम दक्षिण के द्वारा अपने स्तर पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान भवन विनियम 2020 (प्रारूप) में आशिंक संशोधन कर स्थानीय स्तर पर अधिसूचित किए गए है।

06. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क की उपधारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आंवटन) नियम 2012 के नियम 2 (II) की शक्तियॉ का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18.08.2022 के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में संबंधित उपायुक्त, नगर निगम का जोन क्षेत्र को उनके कार्यक्षेत्र में कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवम् भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया जा चुका है।

07. नगर निगम की सीमा में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 183 के तहत नगरीय क्षेत्रों में सडकों/गलियों/रास्तों की चौडाई निर्धारित कर मार्गाधिकार अधिसूचित किये जाने हेतु वैधानिक प्रावधान किया हुआ है।

08. नगरीय विकास एवम् स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक टी.पी.आर.1020/ए.सी.टी.पी(ई)/राज्य सरकार/2020/पार्ट–III/7847–75 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सडकों बाबत् सडक मार्गाधिकार निर्धारण एवम् सडकों के नामकरण बाबत् निर्देश प्रदान किये गये है।

09. शहरों के अन्दर के राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग व अन्य सडकों के मार्गाधिकार पुनः निर्धारण कर पट्टे देने के संबंध में हाल ही में दिनांक 14.07.2022 को नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर द्वारा आदेश जारी किये गए है। जिसमें सडकों के मार्गाधिकार का पुनः निर्धारण स्थानीय एम्पावर्ड समिति द्वारा किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

10. प्राधिकरण स्तर पर दिनांक 08.03.2021 को तत्कालीन आयुक्त महोदय के द्वारा नगर निगम क्षेत्राधिकार में प्राप्त होने वाले उपविभाजन/पुनर्गठन/भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों में निम्न निर्देश दिये गये –

- नगर निगम क्षेत्राधिकार के एडीएमएलसी कार्यालय द्वारा जारी पट्टा विलेख में उपविभाजन/पुनर्गठन/भवन निर्माण स्वीकृति आदि की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा नहीं की जावेगी।
- नगर निगम क्षेत्राधिकार में न्यास/प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टा विलेख में उपविभाजन/पुनर्गठन/भवन निर्माण स्वीकृति आदि की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा रेकर्ड हस्तानान्तरित होने तक प्राधिकरण स्तर पर की जावेगी।

11. जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 25(3) से 25(6) में उल्लेखित प्रावधान निम्नानुसार है :–

25. Subsequent modification of Plans. - (3) The Authority or the Municipal Corporation, Jodhpur, or any other body or Committee, as may be authorised by the State Government in this behalf, may, in order to promote planned development of any part of the Jodhpur Region in more efficient manner, make such modification in land use of the Plan for such area, as may be specified by the State Government by notification in the *official Gazette*.
(4) Before making any modification to the Plan. The Authority, Municipal Corporation, Jodhpur or any other body or Committee shall publish a notice, in such form and manner as may be determined by regulation inviting objection before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by the Authority, Municipal Corporation, Jodhpur or any other body or Committee.
(5) Every modification made under the provisions of this section shall be published and the modification shall come into operation either on the date of publication or on such date as the Authority, Municipal Corporation, Jodhpur or any other body or Committee may fix by notice published in the *official Gazette* whereupon the modified Plan shall come into operation to all interests and for all purposes of this Act.
(6) Upon coming into operation of any modified Plan, any reference in any other section except in the foregoing sections of this Chapter, to the Master Development Plan or to the

Zonal Development Plan shall be construed as a reference to the Master Development Plan or as the case may be a Zonal Development Plan as modified under the provisions of this section.

नगर निगम के क्षेत्राधिकार के मास्टर डवपलमेंट प्लान में संशोधन, जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन, भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही, ले–आउट प्लान अनुमोदन, उपविभाजन एवम् पुनर्गठन, भवन मानचित्र अनुमोदन, नियोजन से संबंधित अन्य कार्य नगर निगम दक्षिण एवम् नगर निगम उत्तर के स्तर से सम्पादित किये जाने के संबंध में कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निणर्याथ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशो/परिपत्रों के प्रावधानों में उल्लेखित प्रावधानों के संदर्भ मेंविचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार अभिशंषा की गयी:–

1. नगर निगम क्षेत्र का मास्टर प्लान, मास्टर प्लान में संशोधन आवश्यक होने पर संशोधन की कार्यवाही, भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही संबंधित नगर निगम द्वारा संपादित की जावे।
2. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.10.2022 में लिये गये निर्णय के कम में नगर निगम क्षैत्र का जोनल डवलपमेंट प्लान, जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन आवश्यक होने पर संशोधन की कार्यवाही संबंधित नगर निगम द्वारा संपादित की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा प्रदत निर्देशों के क्रम में नगर निगम क्षैत्र के मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में दर्शित विशेष क्षैत्र/विशेष सड़कों के संबंध में भू–उपयोग परिवर्तन एवं मार्गाधिकार निर्धारण बाबत कार्यवाही संबंधित नगर निगम द्वारा संपादित की जावे।
4. नगर निगम क्षैत्र में राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्रामीण आबादी क्षैत्र एवं शहरी आबादी क्षैत्र में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69–ए के तहतनियमानुसार लीज डीड जारी किये जाने कीकार्यवाही संबंधित नगर निगम द्वारा की जावे। नगर निगम क्षैत्र की सीमा से बाहर के क्षैत्र में विद्यमान शहरी आबादी क्षैत्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50–क के तहतनियमानुसार लीज डीड जारी किये जाने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जावे।जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षैत्र में नगर निगम सीमा को छोड़कर शेष क्षैत्र में राजस्व रिकार्ड में दर्ज ग्रामीण आबादी क्षैत्र में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा लीज डीड जारी की जावेगी। इन क्षैत्रों में संबंधित निकाय द्वारा भूखण्डो के उपविभाजन, संयुक्तिकरण, भवन मानचित्र अनुमोदन, नाम हस्तांतरण की कार्यवाही संपादित की जावे।
5. नगर निगम क्षेत्राधिकार के एडीएमएलसी कार्यालय द्वारा जारी पट्टा विलेख में उपविभाजन/पुनर्गठन/भवन निर्माण स्वीकृति आदि की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा नहीं की जावेगी।
6. प्राधिकरण द्वारा नगर निगमों को हस्तांनान्तरित की गयी विकसित योजनाओं में लीज डीड जारी किये जाने से शेष रह गये भूखण्डों के पट्टे संबंधित नगर निगम द्वारा जारी किये जावे। इस प्रकार की योजनाओं में संबंधित नगर निगम द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन, नाम हस्तांतरण की कार्यवाही संपादित की जावे।
7. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाओं/आवंटित भूखण्डों जिनमें मूलभूत सुविधाएँ विकसित की जा चुकी हैं को संबंधित जोन द्वारा सूची तैयार कर समस्त रिकार्ड के साथ नगर निगम को हस्तांतरण की कार्यवाही की जावे।नगर निगम क्षेत्राधिकार में न्यास/प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टा विलेख में उपविभाजन/पुनर्गठन/भवन निर्माण स्वीकृति आदि की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा रेकर्ड हस्तानान्तरित होने तक प्राधिकरण स्तर पर की जावेगी।
8. वर्तमान में नगर निगम क्षैत्र में सुओ–मोटो के तहत ले–आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही संबंधित नगर निगम एवं प्राधिकरण द्वारा की जा रही हैं अतः संबंधित नगर निगम एवं प्राधिकरण के जोन उपायुक्त आपस में समन्वय स्थापित कर ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं

पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे जिससे कि आम जन में पारदर्शिता बनी रहे।

9. नगर निगम–उत्तर/दक्षिण के क्षैत्राधिकार के बाहर भूमि रूपान्तरण विभाग द्वारा जारी पट्टा विलेख के बदले जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पट्टे जारी करने की प्रकिया (एस.ओ.पी.) परिशिष्ट–2 के साथ संलग्न है। जो इस कार्यवाही विवरण का भाग माना जावे तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/ स्थायी कर्मचारियों को जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 72 व 82 ग्राम चौखा नई कॉलोनी विकसित कर आरक्षित दर पर भूखण्ड आंवटन बाबत।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।	प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/ स्थायी कर्मचारियों को जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 72 व 82 ग्राम चौखा नई कॉलोनी विकसित कर आरक्षित दर पर भूखण्ड आंवटन बाबत।

अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण मंत्रालयिक कर्मचारी संघ जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम चौखा के खसरा नं. 72 व 82 में स्थित यह योजना जोधपुर रेल्वे स्टेशन से 13 कि.मी. दूर है तथा उक्त योजना का ले–आउट प्लान दिनांक 26.11.2021 को पारित किया जा चुका है आवेदित भूमि के खसरा संख्या 72, 74, 82 का भू–उपयोग जोनल डवलपमेंट प्लान डब्ल्यू–1 अनुसार आवासीय एंव यू–2 में आरक्षित है। मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की डी.सी.आर अनुसार आवासीय योजना अनुज्ञेय है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 15.12.2021 को ग्राम चौखा के खसरा नं. 72 व 82 में स्थित इस योजना की आवासीय आरक्षित दर 8500/–प्रति वर्गमीटर निर्धारित की जा चुकी है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 को प्रकरण अनुमोदन हेतु रखा गया था। प्राधिकरण कार्यवाही की समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 8 के निर्णयानुसार योजना को स्वीकृत करने/लाँच करने/विकसित करने का निर्णय लिया जा चुका है। उक्त योजना में प्राधिकरण कार्यालय में कार्यरत समस्त प्रतिनियुक्ति अधिकारीगण एंव स्थायी कर्मचारी को वेतन श्रंख्ला के आधार पर श्रेणीवार विभक्त कर ग्राम चौखा के खसरा नं. 72 व 82 में स्थित योजना में आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन करवाने का निवेदन किया है अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित ग्राम चौखा के खसरा संख्या 72 व 82 में स्थित योजना की आरक्षित दर रूपये 8500/– प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की जावे एवं आज दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को प्राधिकरण में कार्यरत् सभी प्राधिकरण अधिकारी/कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी सहित) को वेतन शृंखला के आधार पर भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु श्रृखंला वार सूची बना कर प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 4 :: **Revised Administrative and Financial Sanction for the Construction Work of Framed Structure for International Auditorium and Cultural Centre in Govt. Polytechnic College Premises at Jodhpur City (Phase - I)**

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1-	Revised Administrative and Financial Sanction for the Construction Work of Framed Structure for International Auditorium and Cultural Centre in Govt. Polytechnic College Premises at Jodhpur City (Phase - I)	Administrative and Financial Sanction for the referred Work was awarded vide S. No. 20 of EC Meeting of JDA Jodhpur held on Dated 07.04.2021 amounting to Rs. 2000.00 Lacs. Due to revision in Design & Drawing, matter submitted before EC for approval of Revised Administrative and Financial Sanction of the Work.

In Compliance to GoR Budget Announcement S. No. 146-147 of Financial Year 2020-2021 (For Preparation of DPR of International Auditorium & Cultural Centre) and Budget Announcement S. No. 165 of Financial Year 2021-2022 (For Construction of International Auditorium & Cultural Centre), JDA Jodhpur appointed consultant M/s Pramod Jain and Associates, Jaipur as the Design and Drawing Consultant for the Work. The appointed Consultant M/s Pramod Jain and Associates, Jaipur submitted the Draft Design, Drawing and Estimate for the Structural work of International Auditorium and Cultural to JDA Jodhpur and JDA Jodhpur floated the tender for the Structural Construction Work. Accordingly, JDA Jodhpur awarded the work of Construction Work of Framed Structure for International Auditorium and Cultural Centre in Govt. Polytechnic College Premises at Jodhpur City (Phase - I) to M/s LNA INFRAPROJECT PVT. LTD. Jaipur vide Work Order No. F38.(01)2021-22/North/74 Amounting to Rs. 16,67, 94,400/- with Stipulated Date of Start as 12.04.2021 and Stipulated Date of Completion as 11.01.2022. The Design and Drawings were vetted by Associate Professor of MBM Engineering College, Jodhpur. Accordingly, after vetting of Design & Drawings and during execution of Work, Consultant M/s Pramod Jain and Associates, Jaipur revised the Drawings of Connecting Bridge and added few Slab Panels at various levels of the Auditorium looking to the necessity/ requirements of the Project. Hence, the quantity of various Concrete items and Reinforcement quantity got revised. As per the interim Deviation Statement prepared based on revised Design and Drawings, the total construction cost envisaged for the Work is Rs. 2398.72 Lacs with Excess Amount as Rs. 667.15 Lacs (40% of Work Order Amount), Extra Amount as Rs. 68.38 Lacs (4.10 % of Work Order Amount) and Saving Amount as Rs. 4.76 Lacs. The expected cost of Price Escalation Amount envisaged is Rs. 100.00 Lacs. Hence, the Total Cost (Construction Work + Price Escalation) envisaged for the above referred work is Rs. 2498.72 Lacs. Looking to the necessity and importance of the Project and to complete the First Phase of the Project, matter is submitted for Sanction of Revised Administrative and Financial Sanction amounting to Rs. 2498.72 Lacs for the above referred Work.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों / कार्मिकों को दिपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2021–2022 में बोनस / एक्सग्रेसिया तथा उपहार राशि एवं मिठाई क्रय हेतु किये जाने वाले भुगतान के अनुमोदन बाबत्।

प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियो / कार्मिको को पूर्व वर्षो की भाति दिपावली के पावन पर्व के उपलक्ष मे वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए एक्सग्रेसिया, उपहार राशि एवं मिठाई क्रय हेतु नकद राशि भुगतान तथा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियो / कार्मिको का राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसार बोनस राशि स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक मे अनुमोदन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत हैं।

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि वित्तीय वर्ष 2021–2022 हेतु दिपावली, 2022 के अवसर पर अधिकारियों / कार्मिकों को एक्सग्रेसिया, उपहार राशि एवं मिठाई क्रय हेतु नकद राशि का भुगतान प्राधिकरण के पूर्व वर्ष 2021 में जारी स्वीकृति आदेश के अनुरूप इस वर्ष भी स्वीकृति आदेश जारी किया जाना है।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत अधिकारियों एंव कार्मिको को वित्तीय वर्ष 2020–2021 हेतु एक्सग्रेसिया, उपहार राशि एंव मिठाई क्रय के नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ–21 / स्थापना / 2021 / 1068–73 दिनांक 13.10.2022 के द्वारा जारी किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये दिपावली, 2022 के अवसर पर बोनस / एक्सग्रेसिया जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत अराजपत्रित अधिकारियों / कार्मिकों को 8,400 / – का भुगतान, आदेश में उल्लेखित शर्तो के आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जानी हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत नियमित प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को दिपावली, वर्ष 2022 के अवसर पर उपहार क्रय करने हेतु 11,000 / – व मिठाई क्रय करने हेतु रूपये 1100 / – की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति की बैठक में किया जाना है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: **प्राधिकरण की राजीव गाधी नगर ग्राम चौखा योजना सेक्टर–ए के पहाडी एवं उबड–खाबड भूखण्डों का शिफ्ट करने हेतु योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु।**

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/108118 व 107609	खसरा संख्या 82 ग्राम चौखा राजीव गांधी नगर विस्तार योजना का मानचित्र अनुमोदन हेतु ।

प्राधिकरण द्वारा राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु 15.02.2010 में लॉटरी निकाली गई थी । उक्त योजना में सेक्टर–ए में आवंटियों को भूखण्ड आवंटित कर दिए गये तथा आवंटित भूखण्डों की राशि जमा करवाकर भूखण्डों की लीजडीड जारी की जा चुकी है, आवंटित भूखण्ड धारियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि भूखण्ड पर निर्माण नहीं करवा सकने एवं मौके पर गहरा खड्डा होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के सेक्टर–ए में कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मुटाम नहीं है व एप्रोच रोड नहीं होने तथ सम्पूर्ण ब्लॉक पहाडी क्षेत्र एवं ढलान पर होने के कारण प्रकरणों को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 में रखे गये। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 17 से 23 के निर्णय अनुसार "**राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर–ए में ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के लिए इन भूखण्डों के समीप ही उपलब्ध भूमि का चिन्हिकरण कर**

उक्त भूमि पर योजना बनाकर उपायुक्त–पश्चिम के संयोजन में अधिशाषी अभियन्ता–पश्चिम एवं उप नगर नियोजक–पश्चिम की कमेटी गठित कर उक्त कमेटी के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति की आगामी की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये"। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णय की पालना करने हेतु पत्र क्रमांक एफ 48/वसूली(पश्चिम)/2022/38 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार उपायुक्त (पश्चिम), अधिशाषी अभियन्ता (पश्चिम) व उप नगर नियोजक–पश्चिम कमेटी का निर्धारण किया गया । अधिशाषी अभियन्ता (पश्चिम) रिपोर्ट अनुसार प्रभावित भूखण्डों का चिन्हिकरण करवाकर प्रभावित भूखण्डों का अन्य जगह शिपिटंग करने की कार्यवाही हेतु पत्रावली आयोजना शाखा में भिजवाई गई । आयोजना शाखा द्वारा राजीव गांधी नगर योजना के पश्चिम दिशा के खसरा संख्या 82 में स्थित प्राधिकरण की भूमि को चिन्हित कर कनिष्ठ अभियन्ता व पटवारी द्वारा प्रदत प्रभावित भूखण्डों की सूची मय क्षेत्रफल अनुसार ही भूखण्डों का समायोजन करते हुए योजना मानचित्र तैयार किया गया। उक्त योजना का मानचित्र ले–आऊट प्लान समिति के समक्ष रखने हेतु पत्रावली आयुक्त महोदय को भिजवाई गई । आयुक्त महोदय के द्वारा भूखण्ड शिपिटंग हेतु प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक में रखने के निर्देश प्रदान किये गये ।

आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण प्राधिकरण की बैठक से पूर्व कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष खसरा संख्या 82 ग्राम चौखा राजीव गांधी नगर विस्तार योजना के सेक्टर–ए के पहाडी एवं उबड–खाबड भूखण्डों को शिफ्ट करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित सेक्टर–ए के पहाडी एवं उबड–खाबड भूखण्डों को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्व के सेक्टर–ए की भूमि को ओ.सी.एफ./ओपन एण्ड पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु से स्व. श्री प्रेमाराम के आश्रित को आर्थिक सहायता की अनुशंषा बाबत्।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।	कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु से स्व. श्री प्रेमाराम के आश्रित को आर्थिक सहायता की अनुशंषा बाबत्।

श्रीमती पुष्पा पत्नि स्वर्गीय श्री प्रेमाराम निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी, बाईपास रोड, सूरसागर जोधपुर द्वारा दिनांक 19.07.2022 को प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोविड–19 के दौरान राज्य कर्मचारी की संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने हेतु निवेदन किया गया हैं,

01. श्री प्रेमाराम पुत्र श्री श्याम जी कि प्रथम नियुक्ति 01.01.1982 को गैंगमेन के पद पर की गई थी, कार्यालय आदेश दिनांक 06.11.2003 के द्वारा 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.01.1984 को अर्द्धस्थाई किया जाकर दिनांक 01.01.1994 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्थाई गैंगमेन के पद पर किया गया था।

02. श्री प्रेमाराम पुत्र श्री श्यामजी का स्वर्गवास प्राधिकरण सेवा में रहते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर 08.10.2020 को हुआ हैं।

03. डॉ0 एस.एन. मेडिकल कॉलेज जोधपुर की लैब रिपोर्ट दिनांक 08.10.2020 के अनुसार स्वर्गीय श्री प्रेमाराम का देहान्त कोविड–19 के अन्तर्गत पॉजिटिव/संक्रमण होने के कारण होना बताया गया हैं।

04. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ड्यूटी पास एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21/स्था./2020/894 दिनांक 20.05.2020 के अनुसार श्री प्रेमाराम की ड्यूटी प्रभारी अधिकारी के कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग सैल के अधीन लगी हुई थी।

05. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त नियम अनुभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक–प.12(3)वित्त(नियम)/2014 जयपुर, दिनांक 11.04.2020 के द्वारा कोविड–19 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान सक्रमित होने तथा ईलाज के समय असामयिक मृत्यु होने पर रूपये 50.00 लाख की अनुग्रह राशि सहायता के रूप में दिये जाने हेतु आदेश प्राप्त हैं, एंव वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F12(3)FD/Rules/2014 Jaipur Date 27.04.2020 के द्वारा उक्त सहायता राशि आश्रित/फैमिली को स्वायत्तशाषी संस्था/निगम/बोर्ड द्वारा कार्मिक की कोविड–19 के दौरान ड्यूटी होने पर संक्रमण से मृत्यु होने पर राशि के भुगतान का प्रावधान हैं।

06. प्रकरण के अन्तर्गत लेखा शाखा की टिप्पणी प्राप्त की गई, जिसमें प्रकरण नियमानुसार स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.04.2020 के अनुसार नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का लिखा गया हैं।

07. नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प 5(2)नविवि/II/2019 पार्ट जयपुर दिनांक 04.11.22 जोधपुर विकास प्राधिकरण से नियन्त्रक अधिकारी की अनुशंषा चाही गई है। अतः स्व. श्री प्रेमाराम के आर्थिक सहायता राशि रूपये 50.00 लाख स्वीकृति कराने की अनुशंषा नगरीय विकास विभाग को करने का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा ने इस संबंध में संधारित पत्रावली का अवलोकन समिति को करवाया। पत्रावली में कार्मिक स्व. श्री प्रेमाराम के ड्यूटी पास की छाया प्रति, उपस्थिति पंजिका की छाया प्रति, कार्यालय आदेश कमांक एफ. 21/स्थाप/2020/894 दिनांक 20 मई, 2020 की छाया प्रति का अवलोकन किया। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्मिक स्व. श्री प्रेमाराम के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि रूपये 50.00 लाख स्वीकृत कराने की नगरीय विकास विभाग को अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 08 :: **जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014 के भाग–VII में उल्लेखित अनुसूची संख्या– IV (नगर नियोजन सेवा) के वरिष्ठ प्रारूपकार के अभ्युक्तियों के अन्तर्गत बाबत्।**

जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014 के भाग संख्या 5 में किसी पद के प्रवर्ग में वरिष्ठता सूची निर्धारित नहीं होने पर तदर्थ निर्णय लिये जाने के अधिकार प्रदत्त है,

साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014 के बिन्दु संख्या 34, 35 के अनुसार सेवा नियमों में संशोधन/शिथिलता के अधिकार आयुक्त महोदय को प्रदत्त है। उक्त सेवा विनियम में लेखा सेवा, विधिक सेवा तथा प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा में लिपिक सेवा से अन्तःपरिवर्तित किये जाने के प्रावधान है। (परिशिष्ट–1)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम, 2009 की धारा 9 के अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को समय–समय पर आवश्यकता अनुरूप राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त करने के अधिकार प्रदत्त है एवं धारा 91 से 93 के अन्तर्गत जोधपुर

विकास प्राधिकरण, जोधपुर हेतु नियम बनाने व कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रदत्त है। (परिशिष्ट–2)

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक F-1(3)/DOP/ A-11/2019 दिनांक 19.09.2019 की प्रति संलग्न की गई है। जिसके बिन्दु संख्या 31(6)(iv)(b) में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में उच्च आय पे लेवल में पदोन्नति के संबंध में उल्लेख है कि "if promotion is from more than on categories of posts carrying different level in Pay Matrix, eligible persons in the higher level in Pay Matrix shall be considered for promotion first and if no suitable persons is available for promotion on the basis of merit or seniority cum merit as the case may be, in the higher level in Pay Matrix then only the eligible persons of other categories of posts in lower level in Pay Matrix shall be considered for promotion and so on and so forth." (परिशिष्ट–3) पूर्व में तत्कालीन न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में उच्च आय पे लेवल में राज्य सरकार से नियमों में शिथिलता व अनुमति प्राप्त कर प्राधिकरण द्वारा पदोन्नतियां की गई है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वरिष्ठ प्रारूपकार का एक पद स्वीकृत है, जो कि रिक्त है व प्राधिकरण की कैडर स्ट्रेन्थ में भी सम्मिलित है अर्थात् उक्त पदों पर नियुक्ति व पदोन्नति का अधिकार प्राधिकरण के अधीन निहित है। प्राधिकरण सेवा विनियम में वर्णित अनुसार वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर 25 प्रतिशत सीधी भर्ती व 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने का उल्लेख है किन्तु उक्त वरिष्ठ प्रारूपकार के पद के निम्नतर व उच्चतर समस्त पद काफी लम्बे समय से प्राधिकरण में रिक्त चल रहे हैं। साथ ही वर्तमान में प्राधिकरण में वरिष्ठ प्रारूपकार के पद हेतु कोई वरिष्ठता सूची तैयार नहीं है। (परिशिष्ट–4)

श्री देवेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक द्वारा आर्किटेक्चर में डिप्लोमा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण करने के आधार पर वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर पदोन्नति हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी को दिनांक 24.12.2021 को जारी कार्यालय आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रारूपकार का अतिरिक्त कार्यभार भी प्रदान किया गया है। पूर्व में तत्कालीन निदेशक आयोजना द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह की वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर रिक्त पदों व योग्यता के दृष्टिगत पदोन्नति की अनुशंषा की गई थी। जिसके क्रम में प्रकरण जरिये पत्रांक 277 दिनांक 25.01.2022 को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था।

शासन संयुक्त सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर का पत्रांक प.4(6)नविवि/ ।।/2021 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम, 2009 की धारा 91 से 93 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 की भाग–V की धारा 22 (6) (ख) व 22 (7) (क) तथा भाग– VII में उल्लेखित अनुसूची संख्या– IV (नगर नियोजन सेवा) के वरिष्ठ प्रारूपकार के अभ्युक्तियों के अन्तर्गत (लेखा सेवा, विधिक सेवा तथा प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा के समान) नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए लिपिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक के रूप में संतोषजनक सेवा एवं वरिष्ठ प्रारूपकार के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का कार्यानुभव मय शैक्षणिक योग्यता आर्किटेक्चर/वास्तुकला में डिप्लोमा को सम्मिलित किये जाने की शर्त पर स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की गई। साथ ही प्रकरण में पदोन्नति संबंधी कार्यवाही उक्तानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्राधिकरण स्तर पर करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। (परिशिष्ट–5)

अतः उपरोक्तानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम, 2009 की धारा 9 एवं 91 से 93 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 के भाग– VII में उल्लेखित अनुसूची संख्या– IV (नगर नियोजन सेवा) के वरिष्ठ प्रारूपकार के अभ्युक्तियों के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधन किया जाना है –

भाग– VII में उल्लेखित अनुसूची संख्या– IV – नगर नियोजन सेवा

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	अभ्युक्तियां
वर्तमान प्रावधान –			
05.	वरिष्ठ प्रारूपकार/ ड्राफ्टसमैन	25 प्रतिशत सीधी भर्ती व 75 प्रतिशत पदोन्नति	–
राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसारण में प्रस्तावित प्रावधान –			
05.	वरिष्ठ प्रारूपकार/ ड्राफ्टसमैन	25 प्रतिशत सीधी भर्ती व 75 प्रतिशत पदोन्नति	लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक (आयोजना शाखा में) के रूप में 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा एवं वरिष्ठ प्रारूपकार के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का कार्यानुभव मय शैक्षणिक योग्यता आर्किटेक्चर/वास्तुकला में डिप्लोमा

उपरोक्तानुसार एजेण्डा समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा श्री श्रवण सिंह ने अवगत कराया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित सारणी को निम्नलिखित अनुसार माना जाकर निर्णय लिया जाना उचित होगाः–

भाग– VII में उल्लेखित अनुसूची संख्या– IV – नगर नियोजन सेवा

तृतीय श्रेणी सेवा

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती का तरीका	योग्यता	अभ्युक्तियां
वर्तमान प्रावधान –				
05.	वरिष्ठ प्रारूपकार/ ड्राफ्टसमैन	25 प्रतिशत सीधी भर्ती व 75 प्रतिशत पदोन्नति	1 वास्तुकला में इन्टरमीडिएट या आर्किटेक्चरल एसिस्टेन्टशिप (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा या 2 सिविल ड्राफ्टसमैनशिप में पोलिटेक्निक डिप्लोमा तथा नगर नियोजन/वास्तुविद् के कार्यालय में ड्राफ्टसमैन के रूप में एक वर्ष का अनुभव या 3 नेशनल कौंसिल ऑफ वाकेशनल ट्रेड से ड्राफ्टसमैन प्रमाण पत्र सिविल तथा नगर नियोजन/वास्तुविद के कार्यालय में ड्राफ्टसमैन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव	–
प्रस्तावित प्रावधान –				
05.	वरिष्ठ प्रारूपकार/	25 प्रतिशत	1 वास्तुकला में इन्टरमीडिएट या आर्किटेक्चरल एसिस्टेन्टशिप (त्रिवर्षीय	आयोजना शाखा के लिपिक संवर्ग में 5 वर्ष की

	ड्राफ्टसमैन	सीधी भर्ती व 75 प्रतिशत पदोन्नति	पाठ्यक्रम) में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा (पूर्ववत् यथावत) या 2 सिविल ड्राफ्टसमैनशिप में पोलिटेक्निक डिप्लोमा तथा नगर नियोजन/वास्तुविद् के कार्यालय में ड्राफ्टसमैन के रूप में एक वर्ष का अनुभव (पूर्ववत् यथावत) या 3 नेशनल कौंसिल ऑफ वाकेशनल ट्रेड से ड्राफ्टसमैन प्रमाण पत्र सिविल तथा नगर नियोजन/वास्तुविद के कार्यालय में ड्राफ्टसमैन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव (पूर्ववत् यथावत) या 4 आर्किटेक्चर (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा (नवीन प्रस्तावित)	संतोषजनक सेवा एवं वरिष्ठ प्रारूपकार के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का कार्यानुभव

इस पर बैठक में सर्व सम्मति से उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा द्वारा प्रस्तुत सारणी को प्रस्ताव का भाग मानने का निर्णय लिया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: **राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 218 में प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा नवीन भण्डारगृह निर्माण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 218 में प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा नवीन भण्डारगृह निर्माण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, जयपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 218 रकबा 10.3195 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से 5 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 218 रकबा 10.3195 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्या 218 ग्राम तनावड़ा में वेयर हाउस बनाये जाने हेतु जोन चिन्हिकरण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उक्त प्रश्नगत क्षेत्र का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय डीसीआर अनुसार अज्वलनशील गोदाम को 24 मीटर (80 फीट) व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार वेयर

हाउसिंग/गोदाम उपयोग को मास्टर प्लान के प्रतिबंधित भू–उपयोग को छोड़कर अन्य सभी उपयोगों में अनुज्ञेय किया गया है व समस्त नगर निकायों द्वारा उक्तानुसार प्रभावी मास्टर प्लान में वेयरहाउसिंग/गोदाम हेतु जोन का चिन्हिकरण किया जाना आवश्यक है। जिसके संबंध में आयोजना शाखा द्वारा प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 के प्रस्ताव सख्या 38 में उक्त प्रकरण के संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात प्राधिकरण बैठक दिनांक 18.05.2022 के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसार खसरा संख्या 218, 189, 183 ग्राम तनावड़ा में वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोन चिन्हिकरण को स्वीकृत/अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 218 ग्राम तनावड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र दिनांक 09.06.2022 के द्वारा आपत्ति एवं उजर ऐतराज हेतु आम सूचना अपलोड की गई जिसके संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है।

अतः उक्त प्रकरण में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 एवं प्राधिकरण बैठक में दिनांक 18.05.2022 में ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 218 में वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोन चिन्हिकरण की स्वीकृति पश्चात प्रकरण राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 218 रकबा 10.3195 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से 5 हैक्टेयर भूमि केन्द्रीय भण्डार निगम के नवीन भण्डारगृह निर्माण प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त भूमि का सशुल्क आवंटन करने का प्रस्ताव अनुसार निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: 40 करोड़ की ओवरड्राफ्ट लिमिट कि समयावधि वृद्धि कर नवीनीकरण की स्वीकृत बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	2	3
1.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नही छिपाया गया है।	प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, पावटा शाखा जोधपुर से अपने खातें में राशि रूपयें 40.00 करोड़ का अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध है। आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण पेरा संख्या एन/160 में इसकी कार्यकारी समिति में अनमोदन की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई थी।

अतः इसके अनुमोदन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रेड सील के पश्चात करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज के भुगतान की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	नीलकंठ महोदव मंदिर के पास भुतल व प्रथम तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रेड सील के पश्चात करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज की स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

पूर्व बैठक दिनांक 16.06.2022 के प्रस्ताव सं 29 के निर्णय की पालना में कार्य – नीलकंठ महादेव मंदिर के पास भू–तल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य में अंतिम बिल भुगतान हेतु निम्नानुसार तथ्य है:–

प्राधिकरण में वितीय वर्ष 2012–13 में हुए कार्यो के लिए राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में गठित कमेटी द्वारा बताया गया व्यय (जो कार्यो की माप पुस्तिका में रेडसील तक के माप के अनुसार) निम्न है :–(उक्त राशि राज्य सरकार से अनुमोदित है)

- कार्य संशोधित A&F राशि रू. – 52.10 लाख
- कार्यादेश राशि रू. :– 62.00 लाख
- कमेटी द्वारा बताया गया व्यय राशि रू. – 2012511
- अधिक आईटम राशि – 5174.68
- अतिरिक्त आईटम राशि – 504753.74

कार्य में रेड सील पश्चात माप पुस्तिका में इन्द्राज माप के अनुसार कार्य पर व्यय निम्नानुसार बताया गया है:–

- कुल व्यय – 4939392.94
- अधिक आईटम राशि रू. 236012.23
- अतिरिक्त आईटम राशि रू. 835455.08

नवीन माप के अनुसार कार्य के डेविएशन स्टेटमेंट के भाग ए में व्यक्तिगत आईटम कमांक सं. 27 एवं भाग बी में कमांक नं. 7 व 15 में 50 प्रतिशत से अधिक है। रेडशील के पश्चात दर्ज माप के संबंध में तत्तसमय कार्य सम्पादन के लिये नियुक्त कनिष्ठ अभियंता को कार्यालय आदेश कमांक 905 दिनांक 18.09.2020 द्वारा निर्देशित कर मापपुस्तिका में कनिष्ठ अभियंता द्वारा सम्पादित करवाये गये कार्य का माप कर मापपुस्तिका में इन्द्राज करते हुये अंतिम बिल प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना में तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता द्वारा अपने निर्देशो में/देखरेख में सम्पादित करवाये गये कार्य का माप इन्द्राज कर प्रस्तुत किया गया है।

कार्य में नवीन माप के कारण राशि रू. 2926880.00 का भुगतान बकाया गया है।

उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यो के तथ्यो के आधार पर रेड सील पश्चात माप के कारण राशि रू. 2926880.00 के भुगतान की स्वीकृति मय अधिक आईटम राशि रू. 236012.23, अतिरिक्त आईटम राशि रू. 835455.08 व व्यक्तिगत आईटम 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण स्वीकृति राज्य सरकार में निहित है अतः प्रकरण कार्यकारी समिति स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन करवाकर

राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है अतः उक्त प्रकरण को कार्यकारी समिति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समान प्रकृति के समस्त प्रकरण संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: "Development of Garden (Green Space) using Junk Material at SurpuraDam, Jodhpur(Phase-2)" की लागत राशि रूपये 1397.97 लाख, की जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को चार भागों (i) Sculpture & Art work- Rs. 583.24 Lacs, (ii) Civil work- Rs. 499.82 Lacs, (iii) Horticulture work- Rs. 132.43 Lacs, (iv) Electrical work-Rs. 182.48 Lacs, में कार्यकारी समिति में split किये जाने का अनुमोदन बाबत्।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/108330)	प्राधिकरण के जोन उतर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रूपये 1397.97 को चार भागों (i) Sculpture & Art work- Rs. 583.24 Lacs, (ii) Civil work- Rs. 499.82 Lacs, (iii) Horticulture work- Rs. 132.43 Lacs, (iv) Electrical work-Rs. 182.48 Lacs, कार्यकारी समिति में split किये जाने का अनुमोदन करवाना।

उपरोक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में स्थित सुरपुरा बांध के पास भूमि पर द्वितीय चरण में वेस्ट टू वण्डर थीम पर डीपीआर कार्य के पश्चात् जिला कलक्टर महोदय द्वारा विकास कार्यों के संबंध में ली गयी मीटिंग में दिये गये निर्देशों की पालना में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक 131 दिनांक 04.05.2022 को जॉब नं 16/2022–23 द्वारा राशि रूपये 1397.97 लाख की जारी की गयी।

उक्त कार्य के तीन मुख्य घटकों Sculpture & Art work, Civil & Horticulture work, Electrification work में तीनों ही घटकों की कार्य प्रकृति अलग होने से किसी एक एजेंसी द्वारा कार्य हेतु आवश्यक योग्यता हासिल कर पाना मुश्किल होने तथा प्रतिस्पर्द्धी दरें प्राप्त नहीं होने की दशा में उक्त कार्य को 3 भागों में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 29.06. 2022 प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति को तीन भागों में कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में विभक्त(split) किये जाने का प्रस्ताव के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

उक्त कार्य के घटक Civil & Horticulture work की ई–बिड सूचना संख्याः जोन–उतर/ए–बी/03/2022–23 जारी की गयी। जिसकी प्री–बिड मीटिंग दिनांक 15.06.2022 को आयोजित की गयी, तदनुसार मीटिंग कार्यवाही विवरण E-Proc पर अपलोड किये गये। माननीय जिला कलक्टर महोदय के 20.06.2022 को उक्त कार्य को दो भागों में विभक्त(split) करने के निर्देश प्रदान किये गये।

· प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रूपये 1397.97 लाख को चार भागों (i) Sculpture & Art work- Rs. 583.24 Lacs, (ii) Civil work- Rs. 549.31 Lacs, (iii) Horticulture work- 82.94Rs. Lacs, (iv) Electrical work-Rs.

182.48 Lacs, में कार्यकारी समिति बैठक विवरण दिनांक 08.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 25 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन किया जाकर split किया गया।

Civil work तथा Horticulture work के तकमीने में संशोधन उपरांत प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रूपये 1397.97 लाख को चार भागों (i) Sculpture & Art work- Rs. 583.24 Lacs, (ii) Civil work- Rs. 499.82 Lacs, (iii) Horticulture work- 132.43Rs. Lacs, (iv) Electrical work-Rs. 182.48 Lacs, में कार्यकारी समिति में split किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: Development of Sports Complex & Samrat Ashok Udhyan, Jodhpur के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की Split करने की स्वीकृति के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	Development of Sports Complex & Samrat Ashok Udhyan, Jodhpur के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की Split करने की स्वीकृति अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के प्रस्ताव संख्या 13 के अनुसार राशी 1104.00 लाख रू. जॉब संख्या 189/2022–23 क्रमांक 1494 दिनांक 13.10.2022 द्वारा जारी की थी। पत्रावली के पैरा संख्या 56/N में आयुक्त महोदय की स्वीकृति अनुसार कार्यकारी समिति की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 1104.00 लाख को निम्नाानुसार 3 भागों में Split किया गया है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की राशि (लाखों में)
1.	Construction of Lawn Tennis Court & Table Tennis Hall at Samrat Ashok Udhyan, Jodhpur	67.43 लाख
2.	Construction of Swimming Pool & Children Pool at Samrat Ashok Udhyan	868.77 लाख
3	Development of Badminton Court & Basket Ball Court at Samrat Ashok Udhyan, Jodhpur	167.8 लाख
	कुल राशि	1104.00 लाख

अतः आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् उक्त 3 कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की Split करने की स्वीकृति के अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के सक्षम निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार/जीप /बोलेरो /एस.यु.वी की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार जीप/बोलेरो एस.यु.वी की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति बाबत्	कार्य की आवश्यकता को देखते हुए राशि रूपये 350.00 लाख प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंषा कि जाती है।

प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये संविदा के आधार पर किराये के वाहन लेने हेतु वितीय वर्ष 2022–23 एंव 2023–24 हेतु राशि रू 350.00 लाख कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति कि आवश्यकता है। कार्य की आवश्यकता एवं तत्काल निविदा जारी करने हेतु आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में निदेशक अभियांत्रिकी महोदय द्वारा उक्त कार्य हेतु आदेश क्रमांक 1117 दिनांक 07.11.2022 द्वारा राशि रू 350.00 लाख कि प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई है। उक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति बजट मद 5001–04–003 में जारी की गई है।

उक्त कार्य हेतु वर्ष 2020–21 में 2 वर्ष हेतु राशि रू 200.00 लाख की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी कि गई थी तथा राशि रू 100.00 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति सहित कुल राशि रू 300.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त कार्य हेतु वार्षिक दर संविदा कि वैधता अवधि दिनांक 31.01.2023 तक है। माह सितम्बर 2022 तक राशि रू 281.71 लाख का व्यय हो चुका है। कार्य को निरन्तर जारी रखने हेतु आगामी 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर संविदा हेतु निविदा जारी कर कार्यादेश जारी किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण मे प्रचलित शेडयूल ऑफ पावर II (माल एंव सेवाओ) के आईटम सं. 1 के अनुसार 100.00 लाख से अधिक माल एंव सेवाओ कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की सक्षमता मे निहित होने के फलस्वरूप उक्त कार्य हेतु 2 वर्ष के लिए कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की गई राशि रू 350.00 लाख की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

अतः उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 89 में सी.आई.एस.एफ. बैरक निर्माण हेतु 25 बीघा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति दिनांक 14 / 10 / 2022 की पालना में खसरा संख्या 89, ग्राम खारड़ा रणधीर, किस्म गै.मु. गौचर, कुल रकबा 43–14 बीघा में से 25 बीघा भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

श्रीमान् विमानपत्तन निदेशक, सिविल एयरपोर्ट, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत सरकारी विभागों / स्वायत्त शासी संस्थाओं / नियमों को भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र 'स' प्रस्तुत कर सी.आई.एस.एफ. बैरक निर्माण हेतु 11 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई थी। इसके पश्चात् सिविल एयरपोर्ट के उच्च अधिकारियों एवं प्राधिकरण पटवारी द्वारा भूमि आवंटन हेतु संयुक्त मौका–निरीक्षण किया गया तथा राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 89 में 20 से 25 बीघा भूमि, किस्म गै.मु. गोचर उपयुक्त पायी गई।

इसके पश्चात् दिनांक 05 / 02 / 2020 को श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने भूमि की दरों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके अन्तर्गत मूल्य निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि की आवासीय आरक्षित दर 11,000 /– पर आवंटन दर निर्धारित करने की अनुशंषा का निर्णय लिया गया था।

विमानपत्तन निदेशक, सिविल एयरपोर्ट, जोधपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि का आवंटन निःशुल्क चाहा गया है। राजस्थान आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 9.3 के अनुसार राजकीय विभागों को निःशुल्क भूमि आवंटन एवं आरक्षित दर से कम दर पर आवंटन के मामले में शक्तियां राज्य सरकार में निहित है। इस प्रकरण बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक याचिका D.B. Civil W.P. (PIL) NO. 875/16, LIbra India vs. Union of India & Ors. विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 02 / 08 / 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने 2 माह में रियायती या नाम–मात्र दर पर सी.आई.एस.एफ. के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया को आवंटन करने के आदेश किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक की प्रत्याशा में प्रकरण राज्य सरकार को उचित मार्गदर्शन / स्वीकृति हेतु भिजवाया गया था।

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर के पत्रांक प. 1(68)नविवि / जोधपुर / 2022 जयपुर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के द्वारा राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 89, कुल रकबा 43–14 बीघा में से 25 बीघा भूमि का आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्राधिकरण की राजस्व शाखा एवं कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त वर्तमान रिपोर्ट दिनांक 09 / 11 / 2022 अनुसार खसरा संख्या 89, ग्राम खारड़ा रणधीर में 25 बीघा भूमि पर मुटाम लगाने की कार्यवाही की जा चुकी है। राजस्व रेकर्ड अनुसार अनुसार खसरा संख्या 89, किस्म गै.मु. गौचर, ग्राम खारड़ा रणधीर का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

उक्त 25 बीघा चिन्हित की गई भूमि के सम्बन्ध में आयोजना शाखा से प्राप्त भू–उपयोग रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेण्ट प्लान / जोनल डवलपमेण्ट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा उक्त भूमि मास्टर डवलपमेण्ट प्लान / जोनल डवलपमेण्ट प्लान की 30 मीटर सड़क से प्रभावित है। मास्टर डवलपमेण्ट रिपोर्ट अनुसार आवासीय गतिविध में 4 हैक्टेयर से अधिक एवं 20 हैक्टेयर तक क्षेत्र की भमि को 80 फीट या इससे अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केस रजिस्टर के अनुसार उक्त खसरा नम्बर भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 2049, दिनांक 03.01.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 89, किस्म गै.मु. गौचर, कुल रकबा 43—14 बीघा भूमि में से 25 बीघा भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर सी.आई.एस.एफ. बैरक निर्माण के लिए आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वाद डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13076/2020 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर के संबंध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	**पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है ।** **JDA/FTS/105661**	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वाद डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13076/2020 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा के संबधं में ।

प्राधिकरण द्वारा रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में भूखण्ड आवंटन करने हेतु निम्नानुसार लॉटरी निकाल कर भूखण्डों का आवंटन किया गया था ।

रामराज नगर योजना अनुमोदित मानचित्र में कुल भूखण्डों की संख्या **1495** बताई गई थी । **भूखण्डो की संख्या में भिन्नता होने के कारण** आयोजना शाखा से पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई आयोजना **शाखा की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में 1478** भूखण्ड है ।

- **प्राधिकरण द्वारा दिनांक** 14.07.2008 को 497 भूखण्डों के आवंटन हेतु लॉटरी निकाली गई थी।
- **प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2**008 दन्तोपंत ठेगडी नगर योजना के एवज में भूखण्ड आवंटन करने के लिए **236 भूखण्डों की लॉटरी** निकाली गई थी ।
- **प्राधिकरण के कर्मचारियों को भूखण्ड आवंटन** करने के लिए दिनांक 02.09.2008 को 156 **भूखण्डों की लॉटरी निकाल कर भूखण्ड आवंटन** किये गये थे ।

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2008 में लॉटरी के द्वारा जिन **भूखण्डों** की लॉटरी निकाली गई थी। उन **भूखण्डों के आवंटियों द्वारा राशि जमा** करवाकर लीजडीड प्राप्त कर ली गई थी ।

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018 में अधिवक्ताओं **को** भूखण्ड आवंटन करने हेतु **223** भूखण्डों की **लॉटरी निकाली गई थी** ।

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018 में 223 भूखण्डों की लॉटरी निकाली गई थी । जिनमे से लगभग 51 भूखण्डों धारियों के द्वारा राशि जमा करवाने की रसीदों की प्रतिया कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है तथा 172 भूखण्ड धारियों के द्वारा राशि जमा करवाकर भूखण्ड की लीजडीड प्राप्त कर ली गई है ।

1. रामराज नगर योजना में आवंटित भूखण्ड धारियों द्वारा जमा नहीं करवाई गई उनकी सूची निम्नानुसार है –

रामराज नगर सेक्टर– 01

क्र.सं.	फाईल एफटीएस नं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	लॉटरी दिनांक
1	24918	श्री जितेन्द्र कुमार पुरोहित / श्री गुसाई लाल पुरोहित	7	22.02.2018
2	24938	श्री भवानी सिंह राठौड़/ श्री किशन सिंह राठौड	13	22.02.2018
3	24951	श्री नरेश भाटी/ पुखराज भाटी	28	22.02.2018
4	25011	श्री दिनेश कुमार जोशी / रवि प्रकाश जोशी	168	22.02.2018
5	25020	श्री रामचन्द्र व्यास / श्याम सुन्दर व्यास	192	22.02.2018
6	10817	श्री मुकेश व्यास / बंशीलाल	213	22.02.2018
7	25061	श्री अनिल शर्मा / रतन लाल शर्मा	271	22.02.2018
8	25068	श्री करूणनिधी व्यास /शिव राज व्यास	274	22.02.2018
9	25081	श्री महेन्द्र / श्री किशनलाल	278	22.02.2018
10	25090	श्री चैन सिंह / जोर सिंह इन्दा	284	22.02.2018
11	41180	श्री दिनेश कुमार विश्नोई/ रामचंन्द्र विश्नोई	297	22.02.2018
12	25104	श्री भुपेश गर्ग/ श्री प्रहलाद सिंह गर्ग	298	22.02.2018
13	78449	श्री ऋषभ संचेती / शांति प्रकाश संचेती	326	22.02.2018
14	25131	सुश्री अर्चना राजपुरोहित/ श्री ओमप्रकाश	336	22.02.2018
15	25143	सुश्री मनीषा पुरोहित / अशोक पुरोहित	344	22.02.2018
16	93568	श्री जितेन्द्र निम्बावत / श्री नारायण दास	353	22.02.2018

रामराज नगर योजना सेक्टर – 02

क्र.सं.	फाईल एफटीएस नं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	लॉटरी दिनांक
1	33164	श्रीमति निशा पुरोहित/ श्री भानुप्रकाश	63	22.02.2018
2	25192	श्री राजेन्द्र कोचर/ सदन मल कोचर	64	22.02.2018
3	25526	श्री चन्द्र प्रकाश ओझा/ प्रेम प्रकाश ओझा	155	22.02.2018
4	25550	श्री अर्चना चौहान / जसराज गहलोत	206	22.02.2018
5	11198	श्री राजु चायनान/ इनायत खा	211	22.02.2018

6	25593	श्री महिपाल सिंह / हरी सिंह	220	22.02.2018
7	25611	श्री बुद्वाराम चौधरी / मानाराम चौधरी	222	22.02.2018
8	25617	श्री विक्रम सिंह / श्री भगवान सिंह	225	22.02.2018
9	25634	श्री चैनाराम/ श्री गोधुराम चौधरी	227	22.02.2018
10	25641	श्री विक्रम बारासा / रामंचन्द्र	231	22.02.2018
11	25659	श्री मयंक सोनी / श्री जगदीश प्रसाद	236	22.02.2018
12	25681	श्रीमति सोनल चौहान / सुनिल सैन	240	22.02.2018
13	25687	श्री सलीम अली / श्री अकबर अली	242	22.02.2018
14	25690	श्री गोविन्द राज / श्री चन्द्राराम	265	22.02.2018

रामराज नगर योजना सेक्टर – 03

क्र.सं.	फाईल एफटीएस नं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	लॉटरी दिनांक
1	79262	श्रीमति सुशीला / हरि प्रसाद पुरोहित	56	25.07.2008
2	79266	श्री सुनिल कुमार माथुर / चांदमल माथुर	57	25.07.2008
3	79325	राजूराम / आईदान	91	25.07.2008
4	79356	श्री मौ मजहर हुसैन/ आबिद हूसैन	108	22.02.2018
5	25790	मधु बालोटिया / पारसमल बलोटिया	124	22.02.2018
6	25813	ओम प्रकाश सोनी / रानूलाल सोनी	164	22.02.2018
7	25866	श्री भोपाल सिह / जैतु सिंह	195	22.02.2018
8	25874	श्री विक्रम शर्मा/ भीमराज	196	22.02.2018
9	25900	श्री अब्दुल वसीम / अब्दुल कादिर	208	14.07.2008
10		श्री शिराजुदीन / अब्दुल शकुर	235	25.07.2008
11	79494	श्री रमेश कुमार चारण / रामचन्द्र चारण	237	25.07.2008

रामराज नगर योजना सेक्टर – 04

क्र.सं.	फाईल एफटीएस नं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	लॉटरी दिनांक
1	69261	श्री भगाराम / श्री राजू राम	31	02.09.2008
2	79584	श्री सोहनसिंह / भेरू सिंह	48	02.09.2008
3	79613	खेमा राम / चुरा राम	66	02.09.2008
4	80084	श्री महेश कुमार / कालु राम	219	25.07.2008
5	80086	श्री प्रकाश मल पुरोहित / सुरज मल	220	25.07.2008

6	26028	श्री सुरेश कुमार / श्री प्रभुलाल	248	22.02.2018

रामराज नगर योजना सेक्टर – 05

क्र.सं.	फाईल एफटीएस नं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	लॉटरी दिनांक
1	26066	श्रीमति सुमन शर्मा/ श्री गोंपाल जोशी	5	22.02.2018
2	26090	श्री मोहम्मद साबीर / अब्दुल रहीम	168	22.02.2018
3	80166	श्री विजय चौहान / विश्मभर प्रसाद	209	25.7.2018
4	80217	श्री राजेश कुमार सैन/ रामदेव	234	25.07.2008

भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 की धारा 17(5) के अनुसार 90 दिवस पश्चात् 1 वर्ष तक भूखण्ड को नियमितिकरण करने का अधिकार आयुक्त महोदय को है तथा एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष तक कार्यकारी समिति को 15 प्रतिशत वार्षिक दर से एवं 10 प्रतिशत शास्ती सहित नियमिति करने का अधिकार है । प्रकरण में एक वर्ष तक आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् राशि जमा की जा सकती है । एक वर्ष से दो वर्ष की अवधि में कार्यकारी समिति की अनुशंषा प्राप्त होने के पश्चात् राशि जमा की जा सकती है । एक वर्ष से दो वर्ष की अवधि में कार्यकारी समिति की अनुशंषा प्राप्त होने के पश्चात् राशि जमा की जा सकती है । दो वर्ष पश्चात् राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् राशि जमा की जा सकती है । उक्त भूखण्डों को आवंटित हुए दो वर्ष से अधिक समय हो गया है उक्त भूखण्डों को निरस्त किया जावे अथवा राज्य सरकार को भिजवाया जावें ताकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राशि जमा करवाकर भूखण्डों को बहाल करने हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

2. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 में 17 भूखण्डों की नीलामी की गई थी । नीलामी द्वारा विक्रय गये भूखण्डों की राशि जमा हो चुकी है ।

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 में नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्ड की लीजडीड जारी की जा चुकी है । उक्त योजना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वाद डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13076/2020 दिनांक 20.04.2021 वाद दायर होने के पश्चात् उक्त योजना क्षेत्र के कार्नर भूखण्डों की नीलामी पर रोक लगवा दी गई है। कॉर्नर भूखण्डों के निलामी में विक्रय करने पर लगी रोक लिये निण्रयार्थ प्रस्तुत है ।

3. रामराज नगर योजना सेक्टर–01 अतिक्रमित भूखण्ड –

रामराज नगर योजना ग्राम चौखा सेक्टर–01 अतिक्रमित भूखण्डों की सूची निम्नानुसार है जिनको माननीय न्यायालय दर्ज वाद अनुसार अन्य भूखण्ड आवंटित करने हैं–

<u>सारणी –1</u>

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.03.2016 के प्रस्ताव संख्या 14 के अनुसार दन्तोपंत ठेगडी नगर योजना आवंटित भूखण्ड सडक सीमा में आने के कारण निम्न भूखण्ड आवंटित किये गये परन्तु उक्त भूखण्ड कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमित पाये गये है । अतिक्रमित भूखण्डों को शिफ्टिंग करने हेतु भूखण्ड निम्नानुसार है–

क्र. स.	File FTS No.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या मय सेक्टर नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल		विशेष विवरण
				साईज	वर्गमीटर	
1	78401	भैरू सिंह / आम सिंह	251	25'x49'	113.80	दन्तोपन्त ठेगडी नगर भू.स 45 से शिफिटिग किया हुआ है तथा

						वर्तमान में भूखण्ड अतिक्रमित है
2	78402	मो अयुब / मो युसुफ	252	25'x49'	113.80	दन्तोपन्त ठेगडी नगर भू.स 03 से शिफिटिग किया हुआ है तथा वर्तमान में भूखण्ड अतिक्रमित है
3	78403	प्रहलाद सिंह / रूप सिंह	253	25'x49'	113.80	दन्तोपन्त ठेगडी नगर भू.स 128 से शिफिटिग किया हुआ है तथा वर्तमान में भूखण्ड अतिक्रमित है

सारणी – 2

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वाद डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13076/2020 की पालना करने हेतु दिनांक 19.07.2021 को बैठक आहुत की गई । बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में रामराज नगर योजना सेक्टर–01 में अतिक्रमित कुल भूखण्ड 42 भूखण्डों में से 07 भूखण्ड अधिवक्ताओं को वर्ष 2018 में आवंटित किये जा चुके है माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में अतिक्रमित 07 भूखण्डों को अन्य जगह शिफ्टिंग करने की सहमति व्यक्त की गई है –

क्र. स.	File FTS No.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या मय सेक्टर नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल		विशेष विवरण
				साईज	वर्गमीटर	
1	25061	श्री अनिल थानवी / रतन लाल थानवी (अधिवक्ता)	271		249.99	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है
2	25068	श्री करूणनिधी व्यास /शिव राज व्यास (अधिवक्ता)	274	39'x69'	249.99	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है
3	25081	श्री महेन्द्र / श्री किशनलाल (अधिवक्ता)	278	39'x69'	249.99	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है
4		रणजीत जोशी . (अधिवक्ता)	295	39'x69'	249.99	भूखण्ड की राशि जमा नहीं है
5	41180	श्री दिनेश कुमार विश्नोई/ रामचंन्द्र विश्नोई (अधिवक्ता)	297	39'x89'	322.46	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है
6	25104	श्री भुपेश गर्ग/ श्री प्रहलाद सिंह गर्ग (अधिवक्ता)	298	39'x89'	322.46	राशि जमा नहीं व लीजडीड जारी नहीं है
7.		श्री जुगलकिशोर चाण्डा	360			भूखण्ड की राशि जमा है उक्त भूखण्ड दोहरा आवंटन हो जाने के कारण लम्बित है

- सारणी संख्या 1 में आवंटित भूखण्ड दन्तोपंत ठेगडी नगर योजना से शिफ्टिंग किये गये जो अतिक्रमित है उक्त भूखण्डों की राशि जमा है । अतिक्रमित हुए भूखण्डों को के बदले अन्य भूखण्ड शिफ्ट करने हेतु वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।
- सारणी संख्या 2 में आवंटित भूखण्ड वर्ष 2018 में अधिवक्ताओं को आवंटित किये गये थे । उक्त आवंटित भूखण्ड वर्तमान में अतिक्रमित होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर वाद डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13076/2020 की पालना में उक्त भूखण्डों को अन्य जगह शिफ्ट किया जाना है तथा उक्त भूखण्डों की कीमत राशि जमा नहीं है,

भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 की धारा 17(5) के अनुसार 90 दिवस पश्चात् 1 वर्ष तक भूखण्ड को नियमितिकरण करने का अधिकार आयुक्त महोदय को है तथा एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष तक कार्यकारी समिति को 15 प्रतिशत वार्षिक दर से एवं 10 प्रतिशत शास्ती सहित नियमिति करने का अधिकार है। प्रकरण में एक वर्ष तक आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् राशि जमा की जा सकती है । एक वर्ष से दो वर्ष की अवधि में कार्यकारी समिति की अनुशंषा प्राप्त होने के पश्चात् राशि जमा की जा सकती है । एक वर्ष से दो वर्ष की अवधि में कार्यकारी समिति की अनुशंषा प्राप्त होने के पश्चात् राशि जमा की जा सकती है । दो वर्ष पश्चात् राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् राशि जमा की जा सकती है । उक्त भूखण्डों को आवंटित हुए दो वर्ष से अधिक समय हो गया है उक्त भूखण्डों को निरस्त किया जावे अथवा राज्य सरकार को भिजवाया जावें ताकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राशि जमा करवाकर भूखण्डों को बहाल करने हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

4. **रामराज नगर योजना ग्राम चौखा दोहरा आवंटन हुए भूखण्डों की सूची निम्नानुसार है–**

क्र.स.	नाम	भूखण्ड संख्या / सेक्टर
1.	जुगल किशोर रांका पुत्र श्री भंवरलाल अरविन्द समदडिया पुत्र केवलचन्द्र	भूखण्ड संख्या 358 सेक्टर–01
2.	हीना कौसर पत्नी श्री हसीमुदीन मोहम्मद सलीम पुत्र वली मोहम्मद	भूखण्ड संख्या 97 सेक्टर–01
3.	अनिल जोशी पुत्र श्री मदन मोहन दीपाराम पुत्र श्री भीयाराम	भूखण्ड संख्या 55 सेक्टर– 03
4.	श्रवण कुमार मलिक पुत्र श्री तुगलाराम शिव प्रकाश व्यास पुत्र श्री देवीलाल	भूखण्ड संख्या 357 सेक्टर–01
5.	शान्तिस्वरूप गहलोत पुत्र श्री गंगाराम नरेश श्रीमाली पुत्र श्री मदनलाल	भूखण्ड संख्या 245 सेक्टर–01
6.	राजेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री गोवर्धन सिंह ललित दीक्षित पुत्र श्री मोहरपाल	भूखण्ड संख्या 309 सेक्टर–01
7.	कैलाश त्रिवेदी पुत्र श्री भंवरलाल किशन गोपाल पुत्र श्री सेजाराम	भूखण्ड संख्या 239 सेक्टर–01

रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में दोहरा आवंटन हुए भूखण्डों की समय समय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे है दोहरा आवंटन हुए भूखण्डों के निस्तारण के लिए प्रथम आवंटी को यथावत रखते हुए द्वितीय आवंटी को भूखण्ड का आवंटन लॉटरी के जरिये किया जावे या आवंटी से सहमति प्राप्त करके किया जावे, प्रकरण वास्ते अवलोकनार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

उक्त वर्णित सारणी में क्रम संख्या 06 में राजेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री गोर्वधन सिंह तथा ललित दीक्षित पुत्र श्री मोहरपाल को आवंटित भूखण्ड संख्या 309 सेक्टर 01 का दोहरा आवंटन हो जाने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटन करने के लिए माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

प्रकरण में ऐजेण्डा नोट को बिन्दुवार निम्नानुसार विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है –

1. **रामराज नगर योजना में आवंटित भूखण्ड धारियों द्वारा जमा नहीं करवाई गई।**
2. **माननीय न्यायालय में दायर वाद के पश्चात कार्नर भूखण्डों के बैचान पर लगी रोक के सम्बध में ।**
3. **रामराज नगर योजना सेक्टर–01 अतिक्रमित भूखण्डो के संबध में ।**
4. **रामराज नगर योजना ग्राम चौखा दोहरा आवंटन हुए भूखण्डों के संबधं में ।**

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का निम्नलिखित बिन्दुवार निर्णय लिये गये:–

1– बिन्दु संख्या 1 में वर्णित सेक्टर संख्या 1 से 5 के कुल 51 भूखण्डधारियों जिनके द्वारा भूखण्ड की कीमत राशि जमा नहीं करवायी गयी है, उन प्रकरणों को राज्य सरकार को भूखण्ड बहाल करने की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किये जावे। इससे वाद की बहुलता कम होगी। प्राधिकरण को आय होगी तथा प्राधिकरण की योजना पूर्णता की ओर बढ़ेगी।

2– बिन्दु संख्या 2 में वर्णित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से जब तक माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित नहीं किया जाता है, माननीय न्यायालय निर्णय अनुसार पालना की दृष्टि से तब तक प्रकरणों को यथावत् रखा जावे।

3– बिन्दु संख्या 3 में वर्णित सारणी–1 के कम में निर्णय लिया गया कि अतिकमित भूखण्डों के बदले समतुल्य भूखण्ड दिये जावें। सारणी–2 के कम में सारणी–2 में वर्णित कम संख्या 1 से 6 में वर्णित भूखण्डधारियों को शिफ्टिंग में समतुल्य भूखण्ड वर्तमान आरक्षित दर के आधार पर आवंटन किये जावे। सारणी–2 में कम संख्या 7 पर अंकित प्रकरण में भूखण्ड की कीमत राशि जमा हो चुकी है तथा प्रकरण दोहरे आवंटन का है। अतः इस प्रकरण में समतुल्य भूखण्ड आवंटित किया जावे।

4– बिन्दु संख्या–4 में अंकित सारणी के कम संख्या 1 से 5 व 7 के संबंध में प्रथम आवंटी को किये गये आवंटन को यथावत् रखते हुए द्वितीय आवंटी को समतुल्य भूखण्ड का अन्यत्र आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जावे। कम संख्या 6 में वर्णित भूखण्ड संख्या 309 सेक्टर–ए जो श्री राजेन्द्र सिंह राठौड के नाम आवंटित है, को निरस्त करते हुए श्री यह भूखण्ड श्री ललित दीक्षित पुत्र श्री मोहर पाल को आवंटित किया जावे तथा श्री राजेन्द्र सिंह राठौड को भूखण्ड संख्या 331 सेक्टर–1, रामराज नगर योजना आवंटित किया जावे। उक्त भूखण्ड कॉर्नर का होने से श्री राजेन्द्र सिंह राठौड से भूखण्ड की कीमत पेटे 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: मास्टर डवलपमेंट प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान में सहवन से अंकित त्रुटियों/विसंगतियों को व्यापक जनहित में सुधार किये जाने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र का मास्टर डवलपमेंट प्लान (2013–2031) प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.02.2021 में अनुमोदन उपरान्त जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम–2009 की धारा 24 के तहत दिनांक 18.02.2021 को अधिसूचित कर लागू किया जा चुका हैं। अनुमोदित मास्टर डवलपमेंट प्लान के अनुसरण में विभिन्न प्लानिंग जोन यथा E1, E2, S1, S2, N1, N2, W1, W2, Nagar Nigam North, Nagar Nigam South के जोनल डवलपमेंट प्लान भी बनाये जाकर अधिसूचित किये जा चुके हैं।

प्राधिकरण में प्राप्त होने वाले प्रकरणों में 90/क की कार्यवाही/करन्ट प्लानिंग/ले-आउट प्लान अनुमोदन/भू-उपयोग परिवर्तन के परीक्षण करने के दौरान यह तथ्य नोट किया गया है कि मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में कतिपय ड्राफ्टिंग त्रुटियां आदि सहवन से रह गयी हैं जिनका दुरस्तीकरण (मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन) व्यापक जनहित में किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के प्रकरणों में विधि शाखा से प्राप्त टिप्पणी अनुसार मास्टर डवलपमेंट प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन उपरान्त ही प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही किये जाने की राय प्रदान की गयी हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009 की धारा 25 में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन की कार्यवाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009 की धारा 25(4) में उल्लेखित प्रकिया अनुरूप संशोधन के संबंध में निर्धारित अवधि में आमजन से आपत्ति-सुझाव आमंत्रित किया जाकर, तदोपरान्त आपत्ति-सुझावों का निस्तारण कर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एवं प्राधिकरण बैठक में निर्णय लिया जाकर संशोधनों के संबध में गजट में अधिसूचना प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

विभिन्न बैठकों के दौरान मास्टर डवलपमेंट प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान में सहवन से अंकित कतिपय त्रुटियों/विसंगतियों की जानकारी ध्यान में आयी है, जो निम्नानुसार हैं :-

1. राजस्व ग्राम कांकाणी, निम्बला व खाराबेरा पुरोहितान के खसरा संख्या 925, 928/2, 997/1, 998/1, 81 मीन, 409, 371, 372, 441, 442, 442/2, 440, 498 में रीको को आवंटित भूमि का लगभग आधा भाग मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में जलीय क्षेत्र में दर्शाया गया है एवं उक्त जलीय क्षैत्र के सहारे ग्रीन बफर प्रस्तावित किया गया हैं जबकि जोन से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त खसरे प्राधिकरण के स्वामित्व के है एवं राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गै.मु. गोचर दर्ज है।

2. राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 112, 115 आवेदक श्री यश जैन पुत्र श्री अशोक कुमार की पत्रावली में जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि में जलीय क्षैत्र एवं उक्त जलीय क्षैत्र के सहारे ग्रीन बफर प्रस्तावित किया गया हैं परन्तु राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार उक्त स्थान पर एवं आस-पास के क्षेत्र में कोई जलीय इकाई नहीं हैं एवं आवेदक की खातेदारी भूमि हैं।

3. नगर निगम दक्षिण, जोधपुर के जोनल डवलपमेंट प्लान में एम्स रोड पर नहर के सहारे वृक्षारोपण पट्टी/ग्रीन बफर दर्शाया गया है। उक्त नहर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है लेकिन मौके पर अधिकांश क्षेत्र में विद्यमान नही है। नगर विकास न्यास/प्राधिकरण द्वारा पूर्व में उक्त नहर के

4. सहारे केवल सडक का प्रावधान करते हुए कमिटमेंट्स किये गये है। जोनल डवलपमेंट प्लान में उक्त नहर के सहारे वृक्षारोपण पट्टी/ग्रीन बफर के कारण भू-उपयोग परिवर्तन के व अन्य प्रकरणों के निस्तारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

इस प्रकार के संशोधनों के अन्य समान प्रकरणों में संशोधन की प्रक्रिया आयुक्त, जोविप्रा से हुई चर्चानुसार निम्नानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है :-

01. 90/क की कार्यवाही/करन्ट प्लानिंग/ले-आउट प्लान अनुमोदन/भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में परीक्षण के दौरान विसंगति पाये जाने पर संबंधित शाखा द्वारा संबंधित उपायुक्त को मौका रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व दस्तावेज, इत्यादि का परीक्षण किये जाने हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

02. विसंगति का परीक्षण किये जाने के उपरांत आयुक्त, जोविप्रा एवं अध्यक्ष, जोविप्रा से पत्रावली पर अनुमोदन उपरांत न्यूनतम 15 दिवस की लोक–सूचना दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

03. आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति–सुझावों का निस्तारण जोन स्तर पर किया जाकर पुनः आयुक्त, जोविप्रा एवं अध्यक्ष, जोविप्रा से पत्रावली पर अनुमोदन उपरांत गजट अधिसूचना प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।

04. उपरोक्त संशोधनों के प्रकरणों में लिए गए निर्णयों की पुष्टि आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यकारी की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निणयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से निर्धारित मास्टर डवलपमेंट प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान में सहवन से अंकित त्रुटियों/विसंगतियों को व्यापक जनहित में सुधार किये जाने के संबंध में एजेन्डा में उल्लेखित संशोधन की प्रक्रिया का अनुमोदन कर आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा की गयी, साथ ही प्राधिकरण बैठक में निर्णय उपरान्त राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भी प्रस्ताव भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन पश्चिम मे जोन पश्चिम के क्षैत्राधिकार में स्थित सड़कों पर पेच रिपयेर का कार्य (वार्षिक अनुबंध) अनुबंध संख्या F38(27)2020–21की समयावधि बढाने की स्वीकृति के संबंध में

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	जोन पश्चिम मे जोन पश्चिम के क्षैत्राधिकार में स्थित सड़कों पर पेच रिपयेर का कार्य (वार्षिक अनुबंध) प्रस्ताव की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य को पूर्ण करने की दिनांक 18.02.2022 थी। कार्य की आवश्यकता होने के कारण कार्य दिनांक 27.04.2022 तक बढाया गया। पत्रावली में सक्षम कमेटी द्वारा कार्य की समयावधि दिनांक 27.04. 2022 तक बिना शास्ति के बढा दी गई है। इस कार्य का अन्तिम विपत्र प्रस्तुत हो चुका है, साथ ही संवेदक मैसर्स सायर ट्रेडर्स जोधपुर द्वारा इस कार्य का Price Esclation का 1st & Final bill राशी 12,16,171 रू. का प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में बिना शास्ति एवं मूल्य विचलन Price Esclation की राशी 12,16,171 रू. के भुगतान होने के कारण समयावधि प्रकरण प्राधिकरण में प्रचलित SOP के बिन्दु संख्या 28 एवं शर्त संख्या 2 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप प्रकरण कार्यकारी समिति की सक्षमता में है। अतः समयावधि प्रकरण बिना शास्ति एवं Price Esclation राशि 12.16 लाख रू. की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना विजयराजे नगर में पेयजल व्यवस्था हेतु जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निविदा की दर 16.70 प्रतिशत अधिक के भुगतान/राशि जमा कराने की सहमति प्रदान करने बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना विजयराजे नगर में पेयजल व्यवस्था हेतु जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निविदा की दर 16.70 प्रतिशत अधिक टेन्डर प्रिमियम के भुगतान/राशि जमा कराने सहमति प्रदान करने बाबत्।	कार्य की आवश्यकता को देखते हुए एवं मुख्यमंत्री बजट घोषणा में सम्मिलित होने के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा टेन्डर प्रिमियम 16.70 प्रतिशत अधिक के भुगतान की सहमति प्रदान करने के प्रस्ताव के अनुमोदन की अनुशंषा कि जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना विजयराजे नगर में पेयजल व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत तकमीने अनुसार कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.11.2020 के प्रस्ताव संख्या 05(सी) के अनुमोदन पश्चात् निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक JDA/A&F/TA to DE/2021-22/750 दिनांक 01.09.2021 द्वारा राशि रू. 734.85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड, चतुर्थ को चेक संख्या 025834 दिनांक 15.12.2021 राशि रू. 100.00 लाख का प्रथम किस्त के रूप में भुगतान कर दिया गया। उक्त कार्य की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निविदा जारी कर वित्त समिति की बैठक में संवेदक द्वारा प्रस्तुत 16.70 प्रतिशत अधिक टेन्डर प्रिमियम स्वीकृत करते हुए उक्त अधिक टेन्डर प्रिमियम राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमा कराने की सहमति प्रदान करने के पश्चात कार्यादेश जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड चतुर्थ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1675 दिनांक 03.11.2022 द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त 16.70 प्रतिशत अधिक टेन्डर प्रिमियम की राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमा कराये जाने हेतु सहमति पत्र जारी करने का निवेदन किया गया है। उक्त कार्य माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 183.0.0 (2021–22) (24/02/2021) में सम्मिलित है।

अतः कार्य की आवश्यकता एवं माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में सम्मिलित होने के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पूर्व में जारी प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति राशि रू 734.85 लाख के अतिरिक्त निविदा में प्राप्त टेन्डर प्रिमियम 16.70 प्रतिशत अधिक की राशि का भुगतान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को किये जाने की सहमति जारी करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

<u>इसके पश्चात् बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी (कार्यवाहक) श्री राकेश परिहार ने अवगत कराया कि निम्नलिखित एजेण्डा समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत एजेण्डा बुक में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। उक्त प्रकरण अति आवश्यक है। अतः इस बैठक में प्रस्तुत किया जाकर निर्णय लिया जाना उचित होगा। इस पर बैठक में सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी</u>

(कार्यवाहक) श्री राकेश परिहार के उक्त प्रस्ताव को टेबल एजेण्डा मानते हुए बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया। जो इस प्रकार है:–

प्रस्ताव संख्या 20 :: बजट वित्तीय वर्ष 2022–23 मे स्वीकृत प्रावधानों का पुनर्विनियोजन करने बाबत प्रस्ताव (जोन पूर्व)

क सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	2	3
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	बजट पुनर्विनियोजन अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **बजट वित्तीय वर्ष 2022–23 जोन पूर्व मे** निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया था :–

क्र.स.	लेखाशीर्षक	स्वीकृत राशि	अब तक जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतिया	उपलब्ध शेष राशि
1.	5007-22 (डिपोजिट कार्य) गौशाला मैदान में विकास कार्य।	50.00 लाख	24.70 लाख	25.30 लाख

प्रस्तावित कार्य :–

1. शाला कीडा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान मे वॉक पथ, खिलाडियो हेतु हॉस्टल निर्माण कार्य एवं परिसर मे जीणोद्वार कार्य जिसकी अनुमानित लागत राशि रू. 1388 लाख में से 50% राशि रू. 694/–लाख राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होनी है।

उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिया जारी करने हेतु रू. 694.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः सलग्न प्रपत्र अनुसार बजट पुनर्विनियोजन किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JODHPUR
Budget Re-appropriation Statement (Zone East)
Year (2022-23)

Source of Reappropriation					Destination of Reappropriation					
S. No	Name of Head	Available (Amt. in Lakh)	Re-appropriation (Amt. in Lakh)	Bal.	S. no	Name of Head	Available (Amt. in Lakh)	Re-appropriation (Amt. in lakh)	Total after Re-app	Chargeable work
1.	मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना (लोरडी पंडित जी पैकेज 8 से 11) 5009-03-002 (02)	1000.00 Lakh	680.00 Lakh	320.00 Lakh	1.	डिपोजिट कार्य 5007-22 गौशाला मैदान में विकास कार्य।	25.30 Lakh	680.00 Lakh	705.30 Lakh	गौशाला मैदान मे वॉक पथ, खिलाडियो हेतु हॉस्टल निर्माण कार्य एवं परिसर मे जीणोद्वार कार्य जिसकी अनुमानित लागत राशि रू. 1388 लाख में से 50% राशि रू.

										694 / –लाख राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने है।
Total			680.00 lakh		Total			680.00 lakh		

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया तथा प्रस्ताव कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ निर्णय हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2022/ भाग–13/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 61..... /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2022/1796-1814 दिनांक :: 16 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री एम.एस. चारण, चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता (सी.सी.), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
3. श्रीमती प्रियंका विश्नोई, उप निदेशक, महिला बाल विकास विभाग, जोधपुर (जिला कलक्टर प्रतिनिधि)
4. श्री जे.एस. मेहता, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5. श्रीमती अंशु जैन, सहायक पुलिस उपायुक्त (यातायात), पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
6. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7. श्री श्रवण कुमार दाधीच, प्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
8. श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री राकेश परिहार, निदेशक–अभियांत्रिकी (कार्यवाहक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री केवलचन्द गहलोत, निदेशक–वित्त (कार्यवाहक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्रीमती मृदुला शेखावत, उपायुक्त–1, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री रवीन्द्र कुमार, उपायुक्त–3, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0

(परिशिष्ट-2)

मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)

(ए.डी.एम. (एल.सी.)/उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश/पट्टों को समर्पण कर फ्री होल्ड पट्टे हेतु)

राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम 2021 के अन्तर्गत दिनांक 23.09.2021 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 में नवीन धारा 50 बी जोड़ी जाकर भूमियों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों के दस्तावेज का समर्पण स्वीकार किया जाकर पूर्ण स्वामित्व (फ्री होल्ड) का पट्टा जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही/प्रक्रिया हेतु राजस्थान नगर पालिका (फ्री होल्ड पट्टा प्रदान करने हेतु अकृषि भूमि का समर्पण) नियम 2015 में स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.09.2021 के द्वारा जारी किए गए संशोधनों सहित इन नियमों को नगरीय विकास विभाग द्वारा भी विभागीय नियम बनने तक नगर विकास न्यास/प्राधिकरण क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।

प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमियां जिनके संबंध में पूर्व में प्रचलित ग्रामीण/नगरीय संपरिवर्तन नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारीगण, अतिरिक्त कलक्टर (भू.रू.) द्वारा जारी किए गए संपरिवर्तन आदेश/पट्टों को समर्पण करते हुए प्राधिकरण के नवीन पट्टे हेतु आवेदन कर काफी मात्रा में फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की सम्भावना है। इस संबंध में आवेदन से लेकर पट्टा जारी करने तक की प्रक्रिया संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी किया जाना उचित होगा ताकि सभी उपायुक्तगण द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में एकरूपता कायम हो सके साथ ही नागरिकों को सुगमता पूर्वक एवं त्वरित रूप से राज्य सरकार की मंशा अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में आयोजित किये जाने वाले शिविरों में फ्री होल्ड पट्टे जारी किये जा सकें।

जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में अधिकांश भूमियों पर पूर्व में नगरीय संपरिवर्तन नियम 1981 के अन्तर्गत ए.डी.एम. (एल.सी.) द्वारा जारी किए गए पट्टों के रिकॉर्ड को प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने हेतु जिला कलक्टर महोदय को निवेदन किया गया है। इन नियमों के अन्तर्गत जारी पट्टों के आधार पर नवीन फ्री होल्ड जारी करने एवं नाम हस्तान्तरण, भवन निर्माण स्वीकृति, उपविभाजन/संयुक्तिकरण आदि के प्रकरणों के आवेदन करने पर रिकॉर्ड प्राप्त होने पर संपरिवर्तन आदेश/पट्टो आदि दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना आसान होगा एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी जिससे त्वरित कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए के प्रावधानों को लागू करने हेतु स्वायत शासन विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 27.09.2021 एवं आदेश दिनांक 29.09.2021 के द्वारा प्रक्रिया एवं शुल्क की दरों का निर्धारण किया गया है। आदेश दिनांक 29.09.2021 के बिन्दु संख्या (iv) के द्वारा आवासीय/संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूमियों के संबंध में 50 रूपये प्रति वर्गमीटर एवं न्यूनतम 20,000 रूपये शुल्क का निर्धारण किया गया है। प्राधिकरण की धारा 50–बी एवं उक्त वर्णित नियमों, परिपत्र एवं आदेश के अनुसार उपखण्ड अधिकारी/ए.डी.एम. (एल.सी.) द्वारा जारी पट्टों को समर्पण के आधार पर नवीन फ्री होल्ड पट्टा लेने हेत 100 रूपये के स्टाम्प पर पट्टा समर्पण किया जाना आवश्यक है एवं नवीन पट्टे के पंजीयन हेतु 500 रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। आम जन की सुविधा एवं एकरूपता हेतु आवेदन का प्रारूप निम्नानुसार बनाया जाना उचित होगा।

देखिए
जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी सपठित
नियम 4(1) राजस्थान नगर पालिका (फ्री होल्ड पट्टा प्रदान करने हेतु अकृषि भूमि का समर्पण) नियम 2015

आवेदन पत्र

(ए.डी.एम. (एल.सी.)/उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश/पट्टों को समर्पण कर फ्री होल्ड पट्टे हेतु)

प्रेषिती :—

प्राधिकृत अधिकारी जोन

....

....

नवीनतम
फोटो

विषयः: जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी सपठित नियम 4(1) राजस्थान नगर पालिका (फ्री होल्ड पट्टा प्रदान करने हेतु अकृषि भूमि का समर्पण) नियम 2015 के अन्तर्गत अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा एवं फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन।

श्रीमान् मैं/हम इस भूमि में विद्यमान अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता/करती हूँ/करते है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1. आवेदक/आवेदकों का विवरण :—
   - नाम ....
   - पिता/पति का नाम ....
   - पता ....
   - मोबाईल नम्बर ....
   - आधार कार्ड नम्बर ....
   - पैन कार्ड नम्बर ....

2. आवेदित आदेश/पट्टे की भूमि का विवरण :—
   - प्राधिकृत अधिकारी का विवरण ....
   - संपरिवर्तन आदेश/पट्टा जारी करने की दिनांक ....
   - ले—आउट अनुमोदन की दिनांक ....
   - गांव का नाम ....
   - तहसील का नाम ....
   - खातेदार का विवरण ....
   - खसरा संख्या .... रकबा ....
   - कॉलोनी का नाम ....
   - भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... (वर्गमीटर में)

3. संलग्न दस्तावेजों का विवरण :—
   - मूल संपरितर्वन आदेश/पट्टा
   - अनुमोदित ले—आऊट प्लान की प्रति
   - मूल स्वामित्व दस्तावेज — पंजीकृत विक्रय पत्र, दानपत्र, वसीयतनामा इत्यादि
   - मूल सम्पूर्ण चैनल दस्तावेजात (पंजीकृत/अपंजीकृत)
   - 100/— स्टाम्प पर पट्टे/आदेश का समर्पणपत्र

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

समर्पण–पत्र / स्व–घोषणा

1. मैं / हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते है कि मेरे / हमारे पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी (1) एस.डी.एम. .... (2) ए.डी.एम. एल.सी. .... द्वारा खसरा संख्या .... रकबा .... ग्राम .... तहसील .... खातेदार का नाम .... कॉलोनी का नाम .... की भूमि में संपरिवर्तन आदेश / पट्टा क्रमांक .... दिनांक .... अनुमोदित ले–आउट / साईट प्लान दिनांक .... के द्वारा भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... (वर्गमीटर) का पट्टा जारी किया गया है।
2. क्रमांक 1 पर वर्णित अनुसार भूखण्ड के पट्टे को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50बी के अन्तर्गत उक्त वर्णित पट्टे से संबंधित समस्त स्वामित्व को समर्पित करते हुए प्राधिकरण का नवीन फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु यह समर्पण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. मैं / हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते है कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।
4. यह घोषणा की जाती है कि अनुज्ञा के लिए शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र एवं उपर्युक्त वर्णित दस्तावेज असली / वास्तविक है और मैं / हम आवेदक जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में आवेदित भूमि के अधिकारों का अभ्यर्पण करने के लिए सक्षम है।
5. पट्टे की भूमि मन्दिर मूर्ति, वनविभाग या अन्य किसी राजकीय विभाग के स्वामित्व की एवं भूमि अवाप्ति के अधीन नहीं है।
6. इस भूमि के स्वामित्व से संबंधित वाद / प्रकरण किसी भी राजस्व / सिविल न्यायालय में लम्बित एवं विचाराधीन / स्थगन नहीं है। भूमि विवाद रहित है।
7. मैं / हम जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा (फ्री होल्ड पट्टा) प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उक्त भूमि में मेरे / हमारे समस्त अधिकारों को निर्वापित करने का इच्छुक हूँ / है। अतः मुझे / हमें विधि के अनुसार अभ्यर्पण स्वीकार करने की अनुज्ञा प्रदान करें।
8. इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि जिसके लिए अनुज्ञा चाही गई है वह इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है।
9. इस भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार के वाद विवाद एवं स्वामित्व संबंधी अन्यथा स्थिति होने पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाला फ्री होल्ड पट्टा निरस्त किया जा सकेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी / हमारी होगी।
10. आवेदित आदेश / पट्टे की भूमि समस्त प्रकार के भारों से मुक्त है इसमें किसी अन्य पक्षकार का किसी भी प्रकार हित निहित नहीं है।

आवेदक / आवेदकों के हस्ताक्षर

प्रारूप
आम सूचना
(सार्वजनिक आपत्ति / उजरदारी)

आवेदक श्री / श्रीमती .... पिता / पति .... निवासी .... द्वारा भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... कॉलोनी का नाम .. .. खसरा संख्या .... ग्राम .... तहसील .... द्वारा प्राधिकृत अधिकारी .... के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश / पट्टा जारी किया गया है, को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी सपठित नियम 4(1) राजस्थान नगर पालिका (फ्री होल्ड पट्टा प्रदान करने हेतु अकृषि भूमि का समर्पण) नियम 2015 के अन्तर्गत अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त आवेदित भूखण्ड के संबंध में आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने को लेकर कोई आपत्ति / उजरदारी है तो वह इस सार्वजनिक आपत्ति / उजरदारी आम सूचना प्रकाशन की दिनांक से 7 दिवस के भीतर–भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित में आवश्यक साक्ष्यों / दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तिकर्ता को अपनी आपत्ति के साथ स्वयं का फोटो युक्त पहचान दस्तावेज एवं आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

यह आपत्ति / उजरदारी हेतु आम सूचना आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त जोन ....
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

- उक्त प्रारूप में आवेदन के साथ 100/— के स्टाम्प पर समर्पण पत्र जमा कराने पर पट्टे से संबंधित ए.डी.एम. (एल.सी.) की पत्रावली से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन में सही पाये जाने पर भूखण्ड का भौतिक सत्यापन पटवारी के माध्यम से किया जाकर अमीन द्वारा चैनल दस्तावेजों की जांच की जायेगीं। कलक्टर कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त होने तक आवेदक से संपरिवर्तन आदेश/पट्टे संबंधी रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन के साथ ली जावेगी। प्रथम दृष्टया स्वामित्व की स्थिति सही पाये जाने पर इस संबंध में 7 दिवस में सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने हेतु आम सूचना जारी की जाकर किसी एक दैनिक समाचार पत्र में आवेदक द्वारा प्रकाशन करवाया जायेगा एवं सम्पत्ति स्थल, क्षेत्र, गांव, ग्राम पंचायत भवन, पर आम सूचना की चस्पानगी की जाकर फोटो पत्रावली में शामिल किया जावेगा।
- प्रकरण के संबंध में निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति/उजरदारी प्राप्त होने की स्थिति में उनका नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा। आपत्ति/उजरदारी सारहीन होने पर विधि एवं अवाप्ति शाखा से उक्त भूखण्ड के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त जावेगी। इन सभी में रिपोर्ट अनुकूल होने की स्थिति में 50 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से गणना करने पर अथवा न्यूनतम 20,000 रूपये में से जो भी अधिक हो इस राशि का चालान जारी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा शुल्क 100/— एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन की स्थिति में नियमानुसार प्रचलित दर से शुल्क पृथक से लिया जावेगा। मांग पत्र की राशि जमा होने पर फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जायेगा।
- नवीन फ्री होल्ड पट्टे के पंजीयन हेतु 500/— का स्टाम्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)

(प्राधिकरण / ए.डी.एम. (एल.सी.) / उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी पट्टों के उपविभाजन / संयुक्तिकरण के आधार पर फ्री होल्ड पट्टे जारी करने हेतु)

राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम 2021 के अन्तर्गत दिनांक 23.09.2021 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 में नवीन धारा 50 बी जोड़ी जाकर भूमियों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों के दस्तावेज का समर्पण स्वीकार किया जाकर पूर्ण स्वामित्व (फ्री होल्ड) का पट्टा जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही / प्रक्रिया हेतु राजस्थान नगर पालिका (फ्री होल्ड पट्टा प्रदान करने हेतु अकृषि भूमि का समर्पण) नियम 2015 में स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.09.2021 के द्वारा जारी किए गए संशोधनों सहित इन नियमों को नगरीय विकास विभाग द्वारा भी विभागीय नियम बनने तक नगर विकास न्यास / प्राधिकरण क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं, निजी खातेदारी योजनाओं में जारी किये गये पट्टे तथा ए.डी.एम. (एल.सी.) / उपखण्ड अधिकारी द्वारा तत्समय प्रचलित नगरीय क्षेत्रों हेतु संपरिवर्तन नियम 1981 तथा ग्रामीण क्षेत्र संपरिवर्तन नियम 1992, 2007 के अन्तर्गत जारी संपरिवर्तन आदेश / पट्टों के उपविभाजन एवं संयुक्तिकरण हेतु आवेदन ऑनलाईन / ऑफलाईन प्राप्त होते है परन्तु इन प्रकरणों में मूल पट्टा आवेदक द्वारा प्रस्तुत नही किया जाता है। इस प्रकार के प्रकरणों में स्वामित्व दस्तावेज / चैनल दस्तावेज विक्रय पत्र आदि के आधार पर पूर्व में उपविभाजन / संयुक्तिकरण की कार्यवाही की जाकर उपविभाजन / संयुक्तिकरण आदेश जारी किये जाते रहे है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत जारी नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2021, 28.09.2021 के प्रावधानों के अनुसार उपविभाजन / संयुक्तिकरण आदेश के आधार पर आवेदक को उसके स्वामित्व की सीमा तक का नवीन पट्टा जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। नियमानुसार मूल पट्टे के उपविभाजन / सयुक्तिकरण आदेश के आधार पर नवीन पट्टा जारी करने से पूर्व मूल पट्टा प्राधिकरण में जमा किया जाना आवश्यक है। मूल पट्टा जमा नहीं कराने की स्थिति में पट्टे की भूमि का क्षेत्रफल पुराने एवं नवीन पट्टा में अंकित अनुसार अधिक हो जाता है जिससे कई तकनीकी / विधिक कठिनाईयां आने की सम्भावना रहती है।

प्राधिकरण क्षेत्र में ए.डी.एम. (एल.सी.) / उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक से अधिक सामान्यतया 5 से 10 भूखण्डों हेतु एक ही संपरिवर्तन आदेश / पट्टा जारी किया जाता था। ऐसी स्थिति में मूल संपरिवर्तन आदेश / पट्टा किसी एक भूखण्ड धारी के कब्जे में रहने के कारण नागरिक पंजीकृत विक्रय दस्तावेज के आधार पर उपविभाजन हेतु आवेदन करते है परन्तु उनके कब्जे में मूल संपरिवर्तन आदेश / पट्टा नहीं होने के कारण तथा मूल संपरिवर्तन / पट्टे के कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा नवीन फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु मूल संपरिवर्तन आदेश जमा नहीं कराने के कारण उपविभाजन / संयुक्तिकरण के आवेदन प्राप्त कर निस्तारण करने में तकनीकी / विधिक कठिनाई होने के कारण गतिरोध बना हुआ है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान उपविभाजन/संयुक्तिकरण के आवेदनों का निस्तारण एवं आदेश के अनुसरण में नवीन पट्टा जारी करने के संबंध में आवेदन से लेकर पट्टा जारी करने तक की प्रक्रिया संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी किया जाना उचित होगा ताकि सभी उपायुक्तगण द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में एकरूपता कायम हो सके साथ ही नागरिकों को सुगमता पूर्वक एवं त्वरित रूप से राज्य सरकार की मंशा अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में आयोजित किये जाने वाले शिविरों में फ्री होल्ड पट्टे जारी किये जा सके।

उपविभाजन/संयुक्तिकरण के प्रकरणों में आवेदक द्वारा मूल संपरिवर्तन आदेश/पट्टा जमा कराने में असमर्थता होने की स्थिति में मूल पट्टा धारी/जिस व्यक्ति के कब्जे में मूल संपरिवर्तन आदेश/पट्टा है उसका नाम, पता आवेदक द्वारा बताये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी/सहायक/उप नगर नियोजक के स्तर से मूल पट्टा धारी/कब्जे वाले व्यक्ति को मूल संपरिवर्तन आदेश/पट्टा जमा कराने हेतु नोटिस/सूचना निम्न प्रारूप में जारी की जायेगी।

नोटिस

प्रेषिति :–
नाम ....
पिता / पति ....
पता ....
मोबाईल नम्बर ....

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती .... पिता / पति .... निवासी .... द्वारा भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... कॉलोनी का नाम .... खसरा संख्या .... ग्राम .... तहसील .... द्वारा प्राधिकरण / प्राधिकृत अधिकारी .... के आदेश क्रमांक .... दिनांक ....के द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश / पट्टा जारी किया गया है, के आधार पर उपविभाजन / संयुक्तिकरण हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत जारी नगरीय विकास विभाग के आदेश / परिपत्रों के अनुसार उपविभाजन / संयुक्तिकरण आदेश के आधार पर आवेदक क्रेता के पक्ष में उसके स्वामित्व की सीमा तक नवीन पट्टा जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए है। उपविभाजन आदेश के आधार पर नवीन पट्टा जारी करने हेतु मूल संपरिवर्तन आदेश / पट्टा प्राधिकरण में जमा कराया जाना आवश्यक है। आवेदक / क्रेता द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त वर्णित आवेदित भूमि से संबंधित मूल संपरिवर्तन आदेश / पट्टा आपके नाम / कब्जे में है।

प्राधिकरण / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश / पट्टों के भूखण्ड का विक्रय किये जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से उपविभाजन की कार्यवाही एवं बेचान अनुमति आवश्यक थी, परन्तु आपके / पट्टा धारी द्वारा उक्त प्रावधानों को उल्लंघन कर भूखण्ड के आंशिक भाग का बेचान किया गया है जो विधि पूर्ण नहीं है। इस प्रकरण में आवेदक क्रेता के पक्ष में भूखण्ड के आंशिक भाग / क्रेता, हस्तान्तरिति के स्वामित्व की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा नवीन पट्टा जारी किया जाना है। इस हेतु मूल पट्टा जमा कराया जाना आवश्यक होने के कारण आपके स्वामित्व / कब्जे में मूल संपरिवर्तन आदेश / पट्टे को नोटिस प्राप्ति दिनांक से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् संपरिवर्तन आदेश / पट्टे को निरस्त करते हुए आवेदक क्रेता के पक्ष में उसके स्वामित्व सीमा तक नवीन पट्टा जारी कर दिया जायेगा। पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही के फलस्वरूप आनुषांगिक परिणामों / किसी अन्य पक्षकार के हित प्रभावित होने की स्थिति में इस हेतु आप स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया गया।

प्राधिकृत / सक्षम अधिकारी

उक्त वर्णित एस.ओ.पी. के अनुसार उपविभाजन / संयुक्तिकरण के आवेदनों का निस्तारण करते हुए उपविभाजन / संयुक्तिकरण आदेश के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी जोन उपायुक्त द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा कराते हुए पट्टा जारी किया जा सकता है। उपविभाजन / संयुक्तिकरण के फलस्वरूप क्षेत्रफल के अनुसार टाउनशिप पॉलिसी / भवन निर्माण विनियमों के अनुसार सैटबैक का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।

मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)

(ग्राम पंचायत द्वारा आबादी क्षेत्रों में जारी पट्टों को समर्पण कर फ्री होल्ड पट्टे हेतु)

राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम 2021 के अन्तर्गत दिनांक 23.09.2021 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 में नवीन धारा 50 बी जोड़ी जाकर भूमियों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों के दस्तावेज का समर्पण स्वीकार किया जाकर पूर्ण स्वामित्व (फ्री होल्ड) का पट्टा जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही/प्रक्रिया हेतु राजस्थान नगर पालिका (फ्री होल्ड पट्टा प्रदान करने हेतु अकृषि भूमि का समर्पण) नियम 2015 में स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.09.2021 के द्वारा जारी किए गए संशोधनों सहित इन नियमों को नगरीय विकास विभाग द्वारा भी विभागीय नियम बनने तक नगर विकास न्यास/प्राधिकरण क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में शामिल ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी क्षेत्रों में जारी किये जाने वाले आवासीय पट्टों को समर्पण करते हुए प्राधिकरण के नवीन पट्टे हेतु आवेदन कर काफी मात्रा में फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की सम्भावना है। इस संबंध में आवेदन से लेकर पट्टा जारी करने तक की प्रक्रिया संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी किया जाना उचित होगा ताकि सभी उपायुक्तगण द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में एकरूपता कायम हो सके साथ ही नागरिकों को सुगमता पूर्वक एवं त्वरित रूप से राज्य सरकार की मंशा अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में आयोजित किये जाने वाले शिविरों में फ्री होल्ड पट्टे जारी किये जा सके।

नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए के प्रावधानों को लागू करने हेतु स्वायत शासन विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 27.09.2021 एवं आदेश दिनांक 29.09.2021 के द्वारा प्रक्रिया एवं शुल्क की दरों का निर्धारण किया गया है। आदेश दिनांक 29.09.2021 के बिन्दु संख्या (iv) के द्वारा आवासीय/संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूमियों के संबंध में 50 रूपये प्रति वर्गमीटर एवं न्यूनतम 20,000 रूपये शुल्क का निर्धारण किया गया है। प्राधिकरण की धारा 50–बी एवं उक्त वर्णित नियमों, परिपत्र एवं आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी क्षेत्रों में जारी पट्टों को समर्पण के आधार पर नवीन फ्री होल्ड पट्टा लेने हेत 100 रूपये के स्टाम्प पर पट्टा समर्पण किया जाना आवश्यक है एवं नवीन पट्टे के पंजीयन हेतु 500 रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। आम जन की सुविधा एवं एकरूपता हेतु आवेदन का प्रारूप निम्नानुसार बनाया जाना उचित होगा।

देखिए
जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी सपठित
नियम 4(1) राजस्थान नगर पालिका (फ्री होल्ड पट्टा प्रदान करने हेतु अकृषि भूमि का समर्पण) नियम 2015

आवेदन पत्र

(ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी क्षेत्रों में जारी पट्टों को समर्पण कर फ्री होल्ड पट्टे हेतु)

प्रेषिती :–

प्राधिकृत अधिकारी जोन

....

....

नवीनतम फोटो

विषयः: जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी सपठित नियम 4(1) राजस्थान नगर पालिका (फ्री होल्ड पट्टा प्रदान करने हेतु अकृषि भूमि का समर्पण) नियम 2015 के अन्तर्गत अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा एवं फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन।

श्रीमान् मैं/हम इस भूमि में विद्यमान अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता/करती हूँ/करते है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदक/आवेदकों का विवरण :–
   - नाम ....
   - पिता/पति का नाम ....
   - पता ....
   - मोबाईल नम्बर ....
   - आधार कार्ड नम्बर ....
   - पैन कार्ड नम्बर ....

2. आवेदित आदेश/पट्टे की भूमि का विवरण :–
   - पट्टा जारी करने वाली ग्राम पंचायत का विवरण ....
   - पट्टा जारी करने की दिनांक ....
   - मिसल/पत्रावली क्रमांक ....
   - गांव का नाम ....
   - तहसील का नाम ....
   - पंचायत समिति ....
   - खसरा संख्या .... रकबा .... किस्म ....
   - कॉलोनी का नाम ....
   - भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... (वर्गमीटर में)

3. संलग्न दस्तावेजों का विवरण :–
   - ग्राम पंचायत द्वारा जारी मूल पट्टा
   - मूल स्वामित्व दस्तावेज – पंजीकृत विक्रय पत्र, दानपत्र, वसीयतनामा इत्यादि
   - मूल सम्पूर्ण चैनल दस्तावेजात (पंजीकृत/अपंजीकृत)
   - 100/– स्टाम्प पर पट्टे का समर्पणपत्र
   - ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की संस्था द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

समर्पण–पत्र / स्व – घोषणा

1. मैं / हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते है कि मेरे / हमारे पक्ष में ग्राम .... ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... तहसील .... में खसरा संख्या .... रकबा .... किस्म .... में से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिनांक .... मिसल क्रमांक .... क्षेत्रफल .... का पट्टा जारी किया गया है।
2. जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50बी के अन्तर्गत उक्त वर्णित पट्टे से संबंधित समस्त स्वामित्व को समर्पित करते हुए प्राधिकरण का नवीन फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु यह समर्पण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. मैं / हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते है कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।
4. यह घोषणा की जाती है कि अनुज्ञा के लिए शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र एवं उपर्युक्त वर्णित दस्तावेज असली / वास्तविक है और मैं / हम आवेदक जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में आवेदित भूमि के अधिकारों का अभ्यर्पण करने के लिए सक्षम है।
5. पट्टे की भूमि मन्दिर मूर्ति, वनविभाग या अन्य किसी राजकीय विभाग के स्वामित्व की एवं भूमि अवाप्ति के अधीन नहीं है।
6. इस भूमि के स्वामित्व से संबंधित वाद / प्रकरण किसी भी राजस्व / सिविल न्यायालय में लम्बित एवं विचाराधीन / स्थगन नहीं है। भूमि विवाद रहित है।
7. मैं / हम जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा (फ्री होल्ड पट्टा) प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उक्त भूमि में मेरे / हमारे समस्त अधिकारों को निर्वापित करने का इच्छुक हूँ / है। अतः मुझे / हमें विधि के अनुसार अभ्यर्पण स्वीकार करने की अनुज्ञा प्रदान करें।
8. इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि जिसके लिए अनुज्ञा चाही गई है वह इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है।
9. इस भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार के वाद विवाद एवं स्वामित्व संबंधी अन्यथा स्थिति होने पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाला फ्री होल्ड पट्टा निरस्त किया जा सकेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी / हमारी होगी।
10. आवेदित पट्टे की भूमि समस्त प्रकार के भारों से मुक्त है इसमें किसी अन्य पक्षकार का किसी भी प्रकार हित निहित नहीं है।

आवेदक / आवेदकों के हस्ताक्षर

प्रारूप
आम सूचना
(सार्वजनिक आपत्ति / उजरदारी)

आवेदक श्री / श्रीमती .... पिता / पति .... निवासी .... द्वारा भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... कॉलोनी का नाम .. .. खसरा संख्या .... ग्राम .... ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... द्वारा ग्राम पंचायत .... के मिसल क्रमांक .... दिनांक ....के द्वारा पट्टा जारी किया गया है, को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी सपठित नियम 4(1) राजस्थान नगर पालिका (फ्री होल्ड पट्टा प्रदान करने हेतु अकृषि भूमि का समर्पण) नियम 2015 के अन्तर्गत अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त आवेदित भूखण्ड के संबंध में आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने को लेकर कोई आपत्ति / उजरदारी है तो वह इस सार्वजनिक आपत्ति / उजरदारी आम सूचना प्रकाशन की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित में आवश्यक साक्ष्यों / दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तिकर्ता को अपनी आपत्ति के साथ स्वयं का फोटो युक्त पहचान दस्तावेज एवं आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

यह आपत्ति / उजरदारी हेतु आम सूचना आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त जोन ....
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

- उक्त प्रारूप में आवेदन के साथ 100/— के स्टाम्प पर समर्पण पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि जमा कराने पर सत्यापन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को प्रेषित किया जावेगा। संबंधित संस्था ग्राम पंचायत/पंचायत समिति से पट्टे के विधिवत आबादी क्षेत्र में जारी होने संबंधी सत्यापन, पट्टा निरस्त नहीं होने/वर्तमान में प्रभावी होने संबंधी तथ्य तथा वर्तमान में किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने/स्थगन आदि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावेगी। संबंधित संस्था द्वारा उक्तानुसार बिन्दुओं पर सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकरण पटवारी के माध्यम से अमीन/भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा चैनल दस्तावेजों की जांच की जायेगीं। प्रथम दृष्टया स्वामित्व की स्थिति सही पाये जाने पर इस संबंध में 7 दिवस में सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने हेतु आम सूचना जारी की जाकर किसी एक दैनिक समाचार पत्र में आवेदक द्वारा प्रकाशन करवाया जायेगा एवं सम्पत्ति स्थल, क्षेत्र, गांव, ग्राम पंचायत भवन, पर आम सूचना की चस्पानगी की जाकर फोटो पत्रावली में शामिल किया जावेगा।
- प्रकरण के संबंध में निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति/उजरदारी प्राप्त होने की स्थिति में उनका नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा। आपत्ति/उजरदारी सारहीन होने पर विधि एवं अवाप्ति शाखा से उक्त भूखण्ड के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त जावेगी। इन सभी में रिपोर्ट अनुकूल होने की स्थिति में 50 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से गणना करने पर अथवा न्यूनतम 20,000 रूपये में से जो भी अधिक हो इस राशि का चालान जारी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा शुल्क 100/— एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन की स्थिति में नियमानुसार प्रचलित दर से शुल्क पृथक से लिया जावेगा। मांग पत्र की राशि जमा होने पर फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जायेगा।
- नवीन फ्री होल्ड पट्टे के पंजीयन हेतु 500/— का स्टाम्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी/जोन उपायुक्त द्वारा ग्राम पंचायत के पट्टे के आधार पर प्राधिकरण द्वारा फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु गांव के सम्पूर्ण मकानों/आवासों का सर्वे किया जाकर नक्शा एवं सूची तैयार की जायेगी इसे राजस्व मानचित्र पर सुपरइम्पोज किया जायेगा जिससे कि पंचायत की आबादी/स्वामित्व की भूमि के अतिरिक्त या बाहर पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टों के संबंध में स्थिति ज्ञात हो सके। साथ ही पट्टों के साईट प्लान एवं क्षेत्रफल के अनुसार कार्यवाही की जा सके। सर्वे के पश्चात तैयार किये गये मानचित्र एवं पट्टा धारियों/निवासियों की सूची संबंधित दस्तावेज को संरक्षित रखने हेतु गार्ड पत्रावली संधारित की जावेगी।

आवेदन पत्र

नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी लीज होल्ड पट्टों को समर्पण करते हुए दो वर्ष की अतिरिक्त लीज राशि जमा कर फ्री होल्ड पट्टा दिये जाने बाबत्

प्रेषिती :-

प्राधिकृत अधिकारी जोन

....

....

नवीनतम फोटो

विषयः: नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी लीज होल्ड पट्टों को समर्पण करते हुए दो वर्ष की अतिरिक्त लीज राशि जमा कर फ्री होल्ड पट्टा दिये जाने बाबत्

श्रीमान् मेरे/हमारे पक्ष में पूर्व में न्यास/प्राधिकरण की योजना .... के भूखण्ड संख्या .... के पट्टे के संबंध में आठ वर्ष की एक मुश्त लीज राशि जमा करवायी जा चुकी है। मुझे/हमें राज्य सरकार के नवीन निर्देशानुसार दो वर्ष की अतिरिक्त लीज राशि जमा करवाकर पूर्व में जारी लीज होल्ड पट्टे को 100/- के स्टाम्प पर समर्पित कर नवीन फ्री होल्ड पट्टा दिया जावे।

1. आवेदक/आवेदकों का विवरण :-
   - नाम ....
   - पिता/पति का नाम ....
   - पता ....
   - मोबाईल नम्बर ....
   - आधार कार्ड नम्बर ....

2. आवेदित आदेश/पट्टे की भूमि का विवरण :-
   - प्राधिकृत अधिकारी का विवरण ....
   - पट्टा जारी करने की दिनांक ....
   - ले-आउट अनुमोदन की दिनांक ....
   - योजना का नाम ....
   - कॉलोनी का नाम ....
   - भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... (वर्गमीटर में)

3. संलग्न दस्तावेजों का विवरण :-
   - मूल पट्टा मय साईट प्लान
   - मूल स्वामित्व दस्तावेज - पंजीकृत विक्रय पत्र, दानपत्र, वसीयतनामा इत्यादि
   - मूल सम्पूर्ण चैनल दस्तावेजात (पंजीकृत/अपंजीकृत)
   - एक मुश्त लीज राशि जमा का प्रमाण पत्र
   - 100/- स्टाम्प पर पट्टे/आदेश का समर्पणपत्र
   - यदि एक मुश्त लीज राशि की 25 प्रतिशत/एक चौथाई राशि अतिरिक्त जमा कराई जा चुकी है तो जमा कराने संबंधी चालान/रसीद

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

समर्पण–पत्र / स्व–घोषणा

1. मैं / हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते है कि मेरे / हमारे पक्ष में (1) प्राधिकरण की योजना .... सेक्टर .... भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... पट्टा क्रमांक .... दिनांक .... (2) निजी खातेदारी योजना .... खसरा संख्या.......................... गांव .... तहसील .... के भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल ....पट्टा क्रमांक .... दिनांक .... को लीलडीड / पट्टा जारी किया गया है।
2. जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50बी के अन्तर्गत उक्त वर्णित पट्टे से संबंधित समस्त स्वामित्व को समर्पित करते हुए प्राधिकरण का नवीन फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु यह समर्पण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।
3. मैं / हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते है कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।
4. यह घोषणा की जाती है कि अनुज्ञा के लिए शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र एवं उपर्युक्त वर्णित दस्तावेज असली / वास्तविक है और मैं / हम आवेदक जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में आवेदित भूमि के अधिकारों का अभ्यर्पण करने के लिए सक्षम है।
5. पट्टे की भूमि मन्दिर मूर्ति, वनविभाग या अन्य किसी राजकीय विभाग के स्वामित्व की एवं भूमि अवाप्ति के अधीन नहीं है।
6. इस भूमि के स्वामित्व से संबंधित वाद / प्रकरण किसी भी राजस्व / सिविल न्यायालय में लम्बित एवं विचाराधीन / स्थगन नहीं है। भूमि विवाद रहित है।
7. मैं / हम जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 50 बी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा (फ्री होल्ड पट्टा) प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उक्त भूमि में मेरे / हमारे समस्त अधिकारों को निर्वापित करने का इच्छुक हूँ / है। अतः मुझे / हमें विधि के अनुसार अभ्यर्पण स्वीकार करने की अनुज्ञा प्रदान करें।
8. इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि जिसके लिए अनुज्ञा चाही गई है वह इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है।
9. इस भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार के वाद विवाद एवं स्वामित्व संबंधी अन्यथा स्थिति होने पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाला फ्री होल्ड पट्टा निरस्त किया जा सकेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी / हमारी होगी।
10. आवेदित आदेश / पट्टे की भूमि समस्त प्रकार के भारों से मुक्त है इसमें किसी अन्य पक्षकार का किसी भी प्रकार हित निहित नहीं है।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर